ftyk 0;kikj ,oa m|kx dsUnz nekg

v/;k; & 1
iLrkouk

1-1 lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 & egkefge jk"Vifr }kjk 16 tw u 2005 dks lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e ekgj

yxkdj ikfjr fd;k x;k ftlls lwpuk dk vf/kdkj dkuwuh ntkZ ikIr gks x;k A

1-2 lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dk mn`ns'; tu lkekU; ds foHkkx ls lEcfU/kr lHkh ;kstuk, ifd z;kvks o

fujkdj.k A

1-3 ;g gLr iqfLrdk uo m|fe;ks f'kf{kr cjkstxkjks ,oa m|kx ifr;ks ds fy;s mi;kxh gS A

1-4 iqfLrdk es m|kx foHkkx ls lEcfU/kr fu;e ifdz;k,a ;kstukvks dk lekos'k fd;k x;k gSA

1-5 vk/kkj Hkwr fodkl dk;Z & vk'kk vkS|kfxd lLFkkuks@ik{kks= es fdlh Hkh m|kfxd bdkbZ ds i.kZ fodkl gsrq vk/kkj

Hkwr lqfo/kk, lMd ikuh fctyh vkfn dh 0;oLFkk djuk A

f'kf{kr cjkstxkj 'kklu ds fofHkUu Lojkstxkj ;kstuk, gS f'kf{kr cjkstxkj 8 oh@10 oh ikl me 18 ls 45 o"kZ rd ekU; fd;k x;k ftldh ikfjokfjd vkenuh ;kstukuqlkj lqfuf'pr gS A LFkkbZ iwth fdlh m|kx es yxus okys midj.k fofu;kftr lkth gS A

1-6 foHkkxh; fu;e ifdz;k vuqnku ;kstukvks oru HkRrk ctV vkoVu dh tkudkjh lkfgr gS]tkudkjh ds fy;s

lgk;d ykd lwpuk vf/kdkjh Jh ,l0vkj0jktiwr lgk- iac/kd dk LFkkukUrj.k gks tkus ds dkj.k lgk;d ykd lwpuk vf/kdkjh dh fu;qfDr gsrq iLrko es[;ky; iszf"kr fd;k x;k gS

1-7 foHkkx ds vfHkys[k ikIr djus ds fy;s lkekU; ifdz;k dk;kZy; le; es fu/kkZfjr 'kklu }kjk iLrkfor vkosnu 'kqYd 10:i;s dk uxn tqfMf'k;y LVkWe vFkok dk;kZy; es 10 :i;k uxn tek fd;s tkus dk iko/kku gS ,oa xjhch js[kk ds uhps thou ;kiu djus okys 0;fDr;ks dks bl 'kqYd ls NwV dh ik=rk gksxh A

v/;k; & 2 ¼euvy & 1½
lxBu dh fof'k"V;k]dR; ,o drO;

2-1 uohu m|kfxd bdkb;k fd LFkkiuk f'kf{kr cjkstxkjk dk Lojkstxkj LFkkfir djuk A

2-2 ftys dk m|kfxdj.k djuk rFkk cjkstxkjh gVkuk A

2-3 ftyk m|kx dsUn e egkizcU/kd] izcU/kd] ,o lgk;d izcU/kd Lrj ds vf/kdkjh dk;ky; es inLFk jgrs gA blds xBu dk iwjk lx & vk|kfxd bdkb ds fodkl gsrq dsUnzh; ,o jkT; ds fofHkUu vuqnku nuk rFkk ;qokvk dk fofHkUu Lojkstxkj dk ykHk nukA

2-4 uo m|fe;ks@f'kf{kr cjkstxkjks ;qokvks dks uohu m|kx fd tkudkjh nuk _.k izdj.k rS;kj djuk rFkk izf'k{k.k nuk A

2-5 uoku m|kxks ds iLrkfor@LFkkbZ izth;u djuk vk|kfxd lsLFkkuks es Hkkfe vkoVu dj m|kx LFkkfir djuk rFkk fofHkUu izdkj ds vuqnku miYkC/k djkuk f'kf{kr cjkstxkjks dks Lojkstxkj miyC/k djkuk A

2-6 y|q m|kxks dk LFkkbZ izth;u djuk] ntyHk dPpk eky miYkC/k djkuk mudk mRikn dk foi.ku gsrq eyk]izinf'kuh] iq:Ldkj ds fy;s iLrqr djuk Af'kf{kr cjkstxkjks dks fofHkUu ;kstukvks es Lojkstxkj LFkkfir djuk A

2-7 e0iz0 'kklu okf.kT; ,o m|kx jkstxkj e=ky; Hkksiky

m|kx lapkyuky; Hkksiky

ftyk O;kikj ,o m|kx dsUnz nekg

egkizcU/kd

izcU/kd | lgk0iz0 | LVuk xkQj

yk[kkiky

lgk;d xzM&2 ,o 3

HkR; ,o pkdhnkj

2-8 tu lg;kx ls dkbZ dk;Z ugh fd;k ¼ykxw ugh gS½

2-9 tu lg;kx ls dkbZ dk;Z ugh fd;k ¼ykxw ugh gS½

2-10 turk ls izkIr gkus okys vkonu i=@f'kdk;r dk ;Fkk lHko 'kh?k fujkd.k fd;k tkrk gS A

2-11 izeq[k lfpo okf.kT; ,o m|kx jkstxkj e=ky; cYyHk Hkou Hkksiky m|kx vk;qDr okf.kT; ,o m|kx jkstxkj lapkyuky; foU/;kpy Hkou HkksikyA

ftyk O;kikj ,o m|kx dsUnz nekg

egkizcU/kd | izcU/kd | lgk;d izcU/kd

2-12 dk;ky; [kyus dk le; 10-30 Am dk;ky; cn dk le; 5-30 Pm

v/;k; & 3

3-1 vf/kdkjh deZpkfj;ksa fd 'kfDr;ka ,oa drZO; dk fooj.k A

dzekad	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke	inuke	'kfDr;ka		drZO;
			iz'kkldh;	foRrh;	
1	Jh gjh'k dqekj pkjfl;k	egkizca/kd	vf/kuLFk vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa ij fu;a=.k]dk;Z fu"iknu dk;Z dk lapkyu	oru vodk'k y[kk] Hkkfe vkcaVu	fofHkUu dk;Z ,oa ;kstukvksa dk fdz;kUo;u
2	Jh ,l-d-ijkgk	izca/kd	iLrkfor izLrkfor tkjh djuk ,oa lzi.k ftyk esa Lojkstxkj ;kstukvksa dk fdz;kUo;u	&	fofHkUu bdkbZ;ksa dk fujh{k.k fofHkUu ;kstukvksa dk izpkj&izlkj djuk izdj.k rS;kj djkuk vkfn
3	Jh ih-d-mik/;k;	lgk-izca/kd	&	&	rglhy iFkfj;k ,oa cfV;kx< dk izHkkj
4	Jh ,l-vkj-jktiwr	lgk-izca/kd	&	&	eq[;ea=h fiNMk oxZ vkfnoklh foRr fodkl fuxe ,oa iVjk gVk rglhy dk izHkkj
5	Jh ,l-d-pkcs	LVuksxzkQj	&	&	lapuk] Mh-Mh-vkj-ok;-izf'k{k.k ,oa bZ-Mh-ih-eq[;ea=h fiNMk oxZ
6	Jhefr lquhrk pkcs	LVuksxzkQj	&	&	fut d{k lfpo ds:i esa dk;Z djuk ,oa lqapukvksa dk laxzg
7	Jh ,l-d-[kjs	y[kkiky	&	&	y[kk dk;Z ,oa ctV vkfMV dk;Z
8	Jh t-ih-uek	lgk-xzM&2	&	&	ikfj/kkue=h lsu jkstxkj ;kstuk vkfnoklh y?kq ifj;kstuk]lemo; d{k
9	Jh fnus'k frokjh	LVsukVk;fiLV	&	&	v/kklapuk d{k foRrh; lgk;rk d{k
10	Jh jkenkl jkfgr	lgk-xzM&2	&	&	fodykax ;kstuk jkuh nqxkZorh ;kstuk] fo'ks"k ifj;kstuk
11	Jh vkj-ih-f}osnh	lgk-xzM&3	&	&	vkod tkod d{k
12	Jh ykyth jke	lgk-xzM&3	&	&	&
13	Jh jkepju vfgjokj	HkR;	&	&	Mkd forj.k dk;Z
14	Jh :i lhx	HkR;	&	&	HkR;
15	Jh /kou dqekj vfgjoky	Lkgk;d xzM&3	&	&	y[kk d{k lsa lac}
16	Jhefr y{eh nsoh jktiwr	HkR;	&	&	HkR;
17	Jh jktw'k ;kno	HkR;	&	&	HkR;

v/;k; & 5

uhfr fu/kkj.k o dk;kUo;u d lc/k e turk ;k tu&ifrfu/kh l ijke'k d fy; cuk;h x;h 0;oLFkk dk fooj.k uhfr fu/kkj.k gr

5-1 ykd ikf/kdj.k }kjk uhfr fu/kkj.k d lc/k e

d0 l0	fo"k;@dR; dk uke	D;k bl fo"k; e turk dh Hkkxhnkjh vfuok;l g ¼gk@ugh½	turk dh Hkkxhnkjh lfuf'pr dju d fy; dh xbl 0;oLFkk
1.	राज्य की औद्योगिक नीति	हां	विधान सभा द्वारा निर्धारित समितिया एवं विधान मंडल

5-2 ykd ikf/kdj.k }kjk uhfr d dk;kUo;u d lc/k e turk ;k tuifrfuf/k l ijke'k@Hkkxhnkjh d ikO/kku A

d0 l0	fo"k;@dR; dk uke	D;k bl fo"k; e turk dh Hkkxh nkjh vfuok;l g¼gk@ugh½	turk dh Hkkxhnkjh lfuf'pr dju d fy; dh xbl 0;oLFkk
1-	jkT; 'kklu }kjk uohu vk|kfxd bdkb;k dk fofHkUu vunku@lfo/kk, nu gr	ugh	ftykLrjh; fuo'k lc)u lkf/kdkj lferh e nk lnL; jkT; 'kklu }kjk fu;Dr fd;s tkr gA

v/;k; & 6

ykd ikf/kdkjh ds ikl ;k muds fu;=.k esa miyC/k nLrkostksa dk izoxksZa ds vuqlkj fooj.k

6-1 ykd ikf/kdj.k ds ikl miyC/k 'kkldh; nLrkost dh tkudkjh

d- l-	izoxZ	nLrkost dk uke ,oa ,d ifDr esa ifjp;	nLrkost izkIr djus ds fy, izfd;k	/kkjd@fu;a=.kk/khu
1	प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना	ऋण प्रकरण आवक प्रेषित स्वीकृत एवं वितरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2	दीनदयाल रोजगार योजना	ऋण प्रकरण आवक प्रेषित स्वीकृत एवं वितरण, मार्जिन मनी पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
3	रानी दुर्गावती रोजगार योजना	ऋण प्रकरण आवक प्रेषित स्वीकृत एवं वितरण, मार्जिन मनी पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
4	मुख्य मंत्री पिछडा वर्ग योजना, अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग योजना	प्रकरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
5	आदिवासी योजना (म.प्र.आदिवासी वित्त विकास निगम)	प्रकरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
6	अधोसंरचना विकास कक्ष	भूमि/शेड/आवेदन आवंटन पंजी किराया पंजी एवं नस्तियां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
7	वित्तीय सहायता कक्ष	अनुदान संबंधी नस्तियां एवं पंजीयां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
8	स्थापना कक्ष	उपस्थिती पंजी सेवा पुस्तिकायें व्यक्तिगत अभिलेख	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
9	लेखा कक्ष	लेखा संबंधी पंजीयां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
10	निज/सर्तकता कक्ष	गोपनीय चरित्रावली एवं गोपनीय कार्य (अधिकारी कर्मचारी से संबंधित)	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
11	लधु उद्योग कक्ष वृहद मध्यम कक्ष	अस्थाई एवं स्थाई पंजीयन पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
12	आवक जावक कक्ष	आवक जावक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
13	सामान्य कक्ष	स्टेशनरी डेड स्टाक पंजी एंव स्टाक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

14	समन्वय कक्ष	मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों को प्रेषित जानकारियों की नस्तियां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

v/;k; & 7¼euvy 6½
ckM ifj"knk lfefr;k ,o vU; fudk;k dk fooj.k

7-1 ykd ikf/kdj.k l lc/k ckM ifj"knk ,o vU; fudk;k dk fooj.k

1- lfefr

¼v½ VkLd Qkl lfefr i/kku e=h jktxkj l tu dk;dze A ftyk Lrj

1. अध्यक्ष :– कलेक्टर
2. सदस्यः– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
3. सदस्यः– राष्टीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि
4. सदस्यः– प्रबधक, खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड दमोह
5. सदस्यः– प्रतिनिधि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भोपाल
6. सदस्यः– प्रतिनिधि पोलिटेकनिक कालेज दमोह
7. सदस्यः– प्रतिनिधि आई टी आई दमोह
8. सदस्यः– प्रतिनिधि एम एस आई सी इंदौर

9 सदस्य/सचिवः:– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

उद्देश्य :–शिक्षित बेरोजगारो को उद्योग सेवा व्यवसाय स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैको के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप मे देना ।

2- lfefr

¼c½^& e[;e=h fiNMk oxl jktxkj ;ktuk leh{kk lfefr

(अ) अध्यक्ष :– कलेक्टर दमोह
(ब). सदस्य :– जिला अगणी बैक अधिकारी
(स). राष्ट्रीय कृत बैंको के 3 सदस्य
(द). सेडमेप एवं एम. पी. कान. जिला प्रतिनिधि
(व) एस आई एस आई के प्रतिनिधि
(ड) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण
(प) जिला रोजगार अधिकारी
(ई) महाप्रबंधक जिलाव्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह – सचिव सदस्य

mnns'; :–शिक्षित बेरोजगारो को उद्योग सेवा व्यवसाय स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैको के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप मे देना ।

¼l) nhun;ky Lojktxkj ;ktuk& LFkkiuk o"k ½& 2003&2004

mnns'; :– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमे उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण वित्तीय सहायता विवरण स्थापना आदि सूचि चरणो में सहायता व सघन अनुश्रवण सम्मिलित है ।

e[;dr ½& f'kf{kr cjkstxkj ;qodk dk Lojkstxkj yxkuk

lac/k laLFkk dh Hkwfedk ½& dk;Zdkfj.kh

1 सदस्य :–. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी
2. सदस्य :–. पालिटेक्निक एवं आई टी आई के प्रतिनिधि
3. सदस्य :– राष्ट्रीय कृत बैको के प्रबंधके
4. सदस्य :– जिला रोजगार अधिकारी
5. सदस्य :– आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधि
6. सदस्यः– म0सप्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधी
7. सदस्यः– जिला समन्वयक, उद्यमिता विकास केन्द्र
8 सदस्यः– जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
9.सदस्यः– परियोजना अधिकारी, जिला शहरीय विकास अभिकरण
10.सदस्य/सचिव :– प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

½n½ jkuh nqxkZorh vuqlwfpr tkfr@tutkfr Lojkstxkj ;kstuk] p;u lfefr A LFkkiuk o"kZ ½& 2003&2004

mn~ns'; ½& अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा व्यवसाय स्थापित करने के उद्‌देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमे उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण वित्तीय सहायता विवरण स्थापना आदि सूचि चरणो में सहायता व सघन अनुश्रवण सम्मिलित है ।

e[;dr ½& f'kf{kr cjkstxkj ;qodk dk Lojkstxkj yxkuk
lac/k laLFkk dh Hkwfedk ½& dk;Zdkfj.kh-

mn~ns'; :– औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य के औद्योगिकि करण को वाछित गति प्रदान करने एवं राज्य के पूंजी निवेष को आकर्षित करने की दृष्टि से सामान्य कठिनाईयो गतिरोध के साम स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

1. अध्यक्ष :– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2. सदस्य सचिवः– प्रबंधक स्वरोजगार जिला व्यापार उद्योग केन्द्र
3. सदस्य :–
   1. जिला रोजगार अधिकारी
   2. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी
   3. राष्ट्रीय कृत बैंक के प्रतिनिधि
   4. आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधी
   5. मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनुसूचित जाति विता एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधी
   6. जिला समन्वय उद्यमिता विकास केन्द्र के सदस्य
   7. जिला ग्राम उद्योग के अधिकारी
   8. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास

vfHkdj.k

1. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री हरीश कुमार चौरसिया महाप्रबंधक जि0 व्या0 उ0 केन्द्र दमोह

2. मुख्य कार्यालय में अन्य शाखाओ के पते :– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

3. बैठक की आवृत्ति :– योजना प्रारंभ करने में तथा समय समय पर मूल्यांक हेतु

4 क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है :– नही

5. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है :– हा

6. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है :– हां

उपरौक्त चारों योजनायें सूचना के अधिकार के क्षेत्र में आती है ।

lpuk d vf/kdkj d rgr A
lfefr & 4

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :– जिला स्तरीय निवेष संबद्धन साधिकार समिति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

2. संबद्ध संस्था का प्रकार :– समिति

3. सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

LFkkiuk o"k %& 2004 यह निराकरण व उन्हे प्रदान किये जाने वाले आदानो को सामेक स्वीकृति कें एकल बिंदु निराकरण के उद्देश्य से 1.00 करोड़ रूपये तक के विनियोजन कि परियोजना के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने एवं जिलास्तर पर औद्योगिक एवं आधार भूत सुविधाओ का विकास करना।

मुख्यकृत :– जिला स्तर पर औद्योगिक एवं आधार भूत सुविधाओ का विकास करना ।

1.. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्यकारिणी

2. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :–

अध्यक्ष	:–	जिला कलेक्टर
उपाध्यक्ष	:–	परिक्षेत्रिय उद्योग अधिकारी
सदस्य सचिव	:–	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवंउद्योग केन्द्र दमोह
सदस्य	:–	विद्युत मंडल अधिकारी
सदस्य	:–	नगर एवं ग्राम निवेश अधिकारी

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि श्रमविभाग अधिकारी/वाणिज्य कर अधिकारी/प्रदूषण नियंत्रण मंडल रीजनल अधिकारी/नगर पालिका/नगर निगम अधिकारी/अग्रणि बैंक अधिकारी राज्य शासन द्वारा नामांकित उद्योगो के दो प्रतिनिधी

3. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री हरीश कुमार चौरसिया महा प्रबंधक जिला व्या.उ.केन्द्र दमोह

4. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

5. बैठक की आवृत्ति :– मासिक

6. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है :– नही

7. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है :– हा

8. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है :– हां

lpuk ds vf/kdkj ds rgr A
lfefr & 5

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :– पुरूस्कार योजना चयन समिति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2. संबद्ध संस्था का प्रकार – समिति
3. संबद्ध संस्था का परिचय –

LFkkiuk o"kZ %& 2004

mn~ns'; %& 1. रोजगार स्थापना में अभिनव प्रयोग कर सफलता पूर्वक स्वरोजगार स्थापित करना ।
2. बेरोजगार युवको में विभिन्न स्वरोजगार को लोकप्रिय बनाते हुये उनहे स्वंय का उद्यम लगाने हेतु आत्म बल प्रदान करना
3. स्वतः रोजगार योजना अन्तर्गत ऋण गृहिताओ को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित करना एवं जागृति लाते हुऐ बैंक ऋण की समय पर अदायगी सुनिश्चित करना 4. स्वरोजगार स्थापना में एवं संचालन में उत्कृष्ट उद्यमिता प्रदर्शित करना ।

मुख्य कृत – विभिन्न योजनाओ में लाभान्वित हितग्राहीयो द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार से सम्मानित करना ।

4. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्य कारिणी ।
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :– जिलास्तरीय चयन समिति सदस्य ।

   अध्यक्ष :– कलेक्टर

   उपाध्यक्ष :– संयुक्त संचालक उद्योग

   सदस्य सचिव :– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रदमोह

   सदस्य :– प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक

   जिला रोजगार अधिकारी

   मुख्य कार्यपालन अधिकारी

6. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री हरीश कुमार चौरसिया महा प्रबंधक जि0 व्या0एवंउ0 केन्द्र दमोह
7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :– महा प्रबंधक जि0 व्या0 एवं उ0 केन्द्र दमोह
8. मुख्य बैठक की आवृत्ति :– वार्षिक
9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है :– नही
10. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है :– हा
11. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है :– हां

lpuk d vf/kdkj d rgr A
lfefr & 6

1. संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता :—   जिला रोजगार योजना निर्माण बोर्ड दमोह
2. संबंद्ध संस्था का प्रकार :— बोर्ड
3. संबंद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय :—

LFkkiuk o"kZ %& 2004

mnns'; %& प्रदेश में संचालित स्वरोजगार योजनाओ की मध्य समन्वय कर रोजगार के अवसरो का निर्माण करना

ykd lpuk vf/kdkfj;ks dk uke]inuke ,o vU; fof'kf"V;k

8-1 ykd iakf/kdj.k es ykd lpuk vf/kdjh lgk;d ykd lpuk rFkk foHkkxh; vfiyhV vf/kdkjh dk lc/k A

lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh %

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल / मोबा	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस0आर0राजपूत	सहा. प्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9425636379	वैशाली नगर दमोह

ykd lpuk vf/kdkjh %&

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल / मोबा0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस.के.परौहा	प्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9425182728	वैशाली नगर दमोह

विभागीय अपिलेट अथौरटी :—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल / मोबा0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एच.के. चौरसिया	महाप्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9425838442	वैशाली नगर दमोह

v/;k; & 9¼euvy 8½
fu.k; yu dh ifd;k

8.1 विभागीय नियम/निर्देश/प्रकिया के अनुसार निर्णय लिये जाते है।

8.2 प्रत्येक विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए अलग–अलग नियम प्रकिया निर्धारित है।

1. स्थायी पंजीयन निरीक्षण कर्ता और अधिकारी के अनुशंसा पर ।

2. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के मापदण्डो को पूरा करने पर पात्रता एवं बैकलक्ष्य अनुसार निर्णय लिया जाता है।

3. विभागीय सुविधा – अनुदान भूमि आवंटन नियम निर्धारित नियम एवं प्रकिय अनुसार निर्णय लिये जाते है।

9.3 1. समाचार पत्र के माध्यम से

2. व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से

3. सूचना पटल के माध्यम से

4. विभिन्न बैठको में जानकारी के माध्यम से

9.4 1. औद्योगिक इकाईयो के स्थाई पंजीयन हेतु प्रबंधक/महाप्रबंधक के निरिक्षण प्रतिवेदन हेतु

2. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ में टास्कफोर्स समिति के सदस्यो की अनुसंशा।

3. भूमि आवंटन/अनुदान सुविधा है प्रथम आओ प्रथम पाओ नियम तथा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार

9.5 जिला स्तरीय प्रकरणो के के लिये महाप्रबंधक तथा शेष के लिये उद्योग आयुक्त तथा राज्य शासन ।9.6

कं.	पंजीयन	प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना	दीनदयाल रोजगार योजना	रानी दुर्गावती योजना	सुविधाए अनुदान	भूमि आवंटन
विषय	प्रस्तावित/स्थाई	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	राज्य लागत पूंजी अनुदान एवं अन्य सविधा	भूमि शेड आवंटन
दिशा निवेश	शासन के आदेश निर्देशानुसार	शासन के आदेश निर्देशानुसार	शासन के आदेश निर्देशानुसार	शासन के आदेश निर्देशानुसार	शासन के आदेश निर्देशानुसार	भूमि शेड आवंटन 1974
निर्णय लेने की प्रकिया	निरीक्षण उपरांत	टास्क फोर्स समिति से अनुमोदन उपरांत बैंक प्रेषित	टास्क फोर्स समिति से अनुमोदन उपरांत बैंक प्रेषित	टास्क फोर्स समिति से अनुमोदन उपरांत बैंक प्रेषित	टास्क फोर्स समिति से अनुमोदन उपरांत बैंक प्रेषित	निर्धारित नियम अनुसार
निर्णय लेने के शामिल अधिकारी के पद नाम	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	कलेक्टर	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
निर्णय लेने के शामिल अधिकारी के पद नाम	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह 07812–222714	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह 07812–222714	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह 07812–222714	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह 07812–222714	07812–222345	07812–222714
निर्णय लेने के विरूद्ध कहा और	उद्योग आयुक्त	स्वरोजगार हेतु कलेक्टर	स्वरोजगार हेतु कलेक्टर	स्वरोजगार हेतु कलेक्टर	–	उद्योग आयुक्त

कैसे अपील करें।							

v/;k; & 10 ¼euqvy 9½
vf/kdkfj;ks vkSj deZpkfj;ks dh funsZf'kdk

10-1 vf/kdkjh deZpkfj;ks dh tkudkjh

d	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke	inuke	, l-Vh-Mh- dksM	njHkk"k dk;kZy;	vkokl	QSDl	bZ-esy@ekS0	irk
1	श्री हरीश कुमार चौरसिया	महाप्रबंधक	07812	222714	222356	07812—225626	9425838442	वैशाली नगर दमोह
2	श्री एस.के.परौहा	प्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9425182728	वैशाली नगर दमोह
3	श्री पी.के.उपाध्याय	सहा.प्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9893484753	—
4	श्री एस.आर.राजपूत	सहा.प्रबंधक	07812	222714	—	07812—225626	9425636379	—
5	श्री एस.के.चौबें	स्टेनोग्राफर	07812	222714	—	07812—225626	9826597560	एस.पी.एम. नगर दमोह
6	श्रीमति सुनीता चौबे	स्टेनोग्राफर	07812	222714	—	07812—225626	9826597560	एस.पी.एम. नगर दमोह
7	श्री एस.के.खरे	लेखापाल	07812	222714	—	07812—225626	9826389663	जबलपुर नाका दमोह
8	श्री जी.पी.नेमा	सहा.ग्रेड—2	07812	222714	—	07812—225626	9893147016	पुराना थाना दमोह
9	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनोटायपिस्ट	07812	222714	—	07812—225626	—	विवेकानंद नगर दमोह
10	श्री रामदास रोहित	सहा.ग्रेड—2	07812	222714	—	07812—225626	—	बडापुरा 8 दमोह
11	श्री आर.पी.द्विवेदी	सहा.ग्रेड—3	07812	222714	—	07812—225626	—	—
12	श्री लालजी राम	सहा.ग्रेड—3	07812	222714	—	07812—225626	9755060321	—
13	श्री रामचंद अहिरवार	भृत्य	07812	222714	—	07812—225626	—	मल्लपुरा दमोह
14	श्री रूप सींग	भृत्य	07812	222714	—	07812—225626	—	मारूताल
15	श्री ध्रुव कुमार अहिरवाल	सहायक ग्रेंड—3	07812	222714	—	07812—225626	9826815036	मल्लपुरा दमोह
16	श्रीमति लक्ष्मी देवी राजपूत	भृत्य	07812	222714	—	07812—225626	—	जटाशंकर दमोह
17	श्री राजेश यादव	भृत्य	07812	222714	—	07812—225626	9981942878	सिविल वार्ड दमोह

v/;k; & 11 ¼euqvy 10½

iR;d vf/kdkjh vkj deZpkjh }kjk ikIr ekfld ikfjJfed vkj mld fu/kkj.k dh i}fr

d	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke	inuke	ekfld ikfjJfed	lkfjrkf"kr@ikfjrkf"kd HkRrk	ikfjJfed d fu/kkfj.k dh i}fr tk fu;ekcyh e nh x;h gk
1	श्री हरीश कुमार चौरसिया	महाप्रबंधक	54770 + महंगाई भत्ता		शासन के प्रचलित नियमानुसार
2	श्री एस.के.परौहा	प्रबंधक	31640 + महंगाई भत्ता		–''–
3	श्री पी.के.उपाध्याय	सहा.प्रबंधक	17830 + महंगाई भत्ता		–''–
4	श्री एस.आर.राजपूत	सहा.प्रबंधक	17830 + महंगाई भत्ता		–''–
5	श्री एस.के.चौबें	स्टेनोग्राफर	22830 + महंगाई भत्ता		–''–
6	श्रीमति सुनीता चौबे	स्टेनोग्राफर	23480+ महंगाई भत्ता		–''–
7	श्री एस.के.खरे	लेखापाल	14120 + महंगाई भत्ता		–''–
8	श्री जी.पी.नेमा	सहा.ग्रेड–2	14350 + महंगाई भत्ता		–''–
9	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टायपिस्ट	13670+ महंगाई भत्ता		–''–
10	श्री रामदास रोहित	सहा.ग्रेड–2	11820 + महंगाई भत्ता		–''–
11	श्री आर.पी.द्विवेदी	सहा.ग्रेड–3	11720 + महंगाई भत्ता		–''–
12	श्री लालजी राम	सहा.ग्रेड–3	8280+ महंगाई भत्ता		–''–
13	श्री धुव्र कुमार अहिरवाल	सहायक ग्रेड–3	9620+ महंगाई भत्ता		–''–
14	श्री रामचंद अहिरवार	भृत्य	8840 + महंगाई भत्ता		–''–
15	श्री रूप सींग	भृत्य	7260 + महंगाई भत्ता		–''–
16	श्रीमति लक्ष्मी देवी राजपूत	भृत्य	8430 + महंगाई भत्ता		–''–
17	श्री राजेश यादव	भृत्य	8170 + महंगाई भत्ता		–''–

v/;k; & 12 ¼euvy 11½
iR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV
¼lHkh ;kstukvk]0;; 0;; iLrkoks rFkk /ku forj.k dh lpuk½ o"k 2011&12

vU; ykd ikf/kdj.kk d fy; %&

d-l-	en	Lohd`r ctV	'kklu }kjk inRr fd'rks e	Dy 0;;
1	11– ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	120000/–	120000/–	120000/–
2	7432 – अन्तराष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रसार–प्रसार योजना	–	–	–
3	9068 – औद्योगिक ईकाईयों को लागत पूंजी आदान	–	–	–
4	7891 – रानी दुर्गावती सहायता योजना (आदिवासी)	13,17,600/–	13,17,600/–	5,54,218/–
5	7891 – रानी दुर्गावती सहायता योजना अनु.जाति	21,54,600/–	21,54,600/–	15,44,026/–'
6	दीन दयाल स्वरोजगार योजना	166650/–	166650/–	1,66,650/–
7	प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना	–	–	–

वेतन एवं भत्तों में प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी

d-l-	en	Lohd`r ctV	'kklu }kjk inRr fd'rks e	Dy 0;;
1	11–001 वेतन	40,00,000/–	40,00,000/–	22,80,933/–
2	11–003 महगांई भत्ता	18,17,000/–	18,17,000/–	1006139/–
3	11–006 मकान किराया भत्ता	60,000/–	60,000/–	31434/–
4	11–008 अन्य भत्ते	5000/–	5000/–	–
5	11–028 ग्रेड वेतन	7,60,000/–	7,60,000/–	426600/–
6	11–009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	10,000/–	10,000/–	–
7	11–011 त्यौहार अग्रिम	5000/–	5000/–	2000/–
8	11–016 अनाज अग्रिम	10000/–	10000/–	–
9	12–000 मजदूरी	30000/–	30000/–	11000/–
10	21–001 यात्रा भत्ता	50000/–	50000/–	5004/–
11	22–001 डाक व तार व्यय	6000/–	6000/–	3000/–
12	22–002 दूरभाष व्यय	21000/–	21000/–	8634/–
13	22–003 फर्नीचर कार्यालय उपकरण	2000/–	2000/–	–
14	22–004 पुस्तकें नियत कालिक पत्रिकाए	2000/–	2000/–	–
15	22–005 बिजली व जल प्रभार	25000/–	25000/–	13080/–
16	22–006 बर्दिया	7000/–	7000/–	–
17	22–007 लेखन सामग्री	20000/–	20000/–	9848/–
18	22–009 पेट्रोल	50000/–	50000/–	29582/–
19	22–010 आतिथ्य व्यय	1000/–	1000/–	–
20	31–007 परिवहन व्यवस्थाये	–	–	–

21	33–002 मशीन उपकरण अनुरक्षण	2000/–	2000/–	1350/–
22	33–003 वाहन अनुरक्षण	5000/–	5000/–	4780/–
23	33–004 विद्युत प्रभार	1000/–	1000/–	–

v/;k;&13 euvy

vunku@jkT; lgk;rk dk;Øe d fØ;kUo;u dh jhfr

1- e/; ins'k m|kx fuos'k vunku ;ktukA
2- Ve yku ij C;kt vunku ;ktukA

13-1 di;k fuEu ik:i ij tkudkjh miyC/k djk;

- ❖ कार्यक्रम/योजना का नाम :– म0प्र0 उद्योग निवेश अनुदान योजना।
- ❖ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :– 01–04–04 से 31–03–2009 तक।
- ❖ कार्यक्रम का उद्देश्य :– पात्र लघु उद्योगों विद्यमान मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योगों के विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/आधुनिकीकरण, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योगों द्वारा स्थाई पूँजी निवेश पर (दमोह जिले में) 15 प्रतिशत अधिकतम 15.00 लाख तक अनुदान की पात्रता है।
- ❖ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– निरंक (प्राप्त आवेदन पत्र के आधर पर निराकरण किया जाता है)।
- ❖ लाभार्थी की पात्रता :– पात्र औद्योगिक इकाईयों (म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अपात्र इकाइयों को छोडकर) को अनुदान का लाभ मिलेगा। उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना अंतर्गत ''अपात्र उद्योगों की सूची ''(पुनरीक्षित)

¼m|kx lo/ku uhfr&2004 dh dfMdk Ø&4-2-2 d vrxr½
****vik= m|kxk dh lph ****

1. फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
2. आईल मिल
3. दाल मिल
4. राईस मिल, राईस हालिंग, पारवाईलिंग आफ पेडी, पोहा, मुरमुरा
5. कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
6. सभी प्रकार के प्रिटिंग प्रेस
7. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
8. आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज
9. बीयर, पोटेबल अल्कोहल निर्माण व इंडस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण
10. टेलरिंग
11. कारपेन्टरी, लकड़ी की चिराई, आरामिल, जायनरी, लकड़ी का सभी प्रकार का सामान बनाना
12. ड्रायक्लिनिंग
13. रस्सी बनाना
14. बुक बाइंडिंग
15. पेपर बैग्स
16. रबर स्टाम्प्स मेकिंग
17. एक्सरसाइज नोटबुक्स तैयार करना
18. लिफाफे बनाना
19. बेकरी, प्रोडक्ट्स एवं बिस्कुट्स
20. पोल्ट्री, केटल फीड, पोल्ट्री फीड
21. कन्फेक्शनरी
22. मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना

23. फोटो स्टेटे का कार्य
24. क्लीनिक पेथालाजिकल लेबोरेटरी
25. डाटा प्रोसेसिंग
26. पटाखे बनाना
27. ब्यूटी पार्लर
28. स्कोअरिंग
29. होजियरी समान बनाना
30. पत्तल दोना बनाना
31. बोरवेल, ट्यूबवेल ड्रीलिंग
32. हायब्रोड सीड निर्माण
33. गेस्ट हाउस, होटल हाउस बोट
34. जूते बनाने के पेटर्न व मोल्इण
35. स्मोकलेस फ्यूल बनाना, बिहाई बहाई कोक बनाना
36. कार्क मेकिगं
37. ब्रास / कॉपर प्लेट तथा सर्कल निर्माण
38. आल टाइप्स आफ लेंमीनेशन (जुट बेग्ज, लेमिनेशन छोड़कर)
39. स्टील क्लिप बनाना
40. पेपर से बनाई वस्तुएं जैसे पेपर ट्यूब मेंकिंग
41. फिशिंग नेट मेंकिंग
42. स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण
43. सभी प्रकार का प्रिंटिंग कार्य (हेंडीक्रफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)
44. इलेक्ट्रिकल जाब वर्क
45. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पेनल असेंबलिग
46. टायर रिस्ट्रेडिंग जाब वर्क
47. रिकंडीशनिंग एवं सर्विसींग आफ आटो ऐंजिन
48. वुड वूल इन्सूलेशन बोर्ड
49. रिट्रेडिंग आफ द इन्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल मोल्डेड प्रोडक्ट व रबर होजेज
50. डिस्टल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)
51. फ्लेईग कार्ड मेकिंग
52. प्रिटिंग आफ एल.डी.पी. व एच.डी.पी. बैग्ज
53. लाईम पावडर, लाईम चिप्स एवं डोलोमाईट पावडर बनाना
54. ग्राईडिंग आफ मिनरल (स्वतन्त्र इकाई)
55. साफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व बाटलिंग
56. स्लाटर हाउस
57. ऐरिऐटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सोफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व वाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर)
58. तम्बाकू एवं तंबाकू पर आधारित उत्पाद
59. मदिरा
60. पान मसाला
61. गुटखा
62. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किऐ जावें।

ukV!& 1. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली ईकाई यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की सुविधा नहीं चाहती है तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।

2. किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना के साथ टर्म लोन पर ब्याज अनुदान

योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना 2004 की पात्रता नहीं रखेगी।

3. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा की वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की सुविधा का लाभ लेना चाहता है, अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना एवं टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प दिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

4. नवीन उद्योग नीति में प्रावधान अनुसार डायवर्सिफिकेशन/क्षमता/विस्तार/तकनीकि उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगी।

❖ iokik{kk,¡ %&

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/ वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।

3. इकाइयाँ नगर निगम की अधिसूचित सीमा में स्थापित न हों।

4. नगर/शहर जिनकी आबादी 2.00 लाख या अधिक (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) न हो।

5. नगर निगम की अधिसूचित सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर हो।

6. उपरोक्त शर्त क्र. 3, 4 एवं 5 म.प्र. शासन द्वारा विकसित औद्योगिक संस्थानों औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा विकसित किये औद्योगिक क्षेत्रों/केन्द्रो पर लागू नही होगी।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थाई पूजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा 17.50 लाख होगी।

8. थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को 50 लाख से अधिक के स्थाई पूजी वेस्ठन करने वालो उद्योगो को जिले दमोह में स्थापित होने वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

9. इकाई/उद्यमियों द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष भीतर आवेदन निर्धारित प्राप्त्र में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vunku@lgk;rk ikIr djus dh izfØ;k %&

आवेदक को निर्धारित प्रापत्र में आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष के अंदर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निम्नाकित सहपत्रों/प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2 .पार्टनर शिप डीड फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिऐशन की प्रति ।

3. जनरल पावर ऑफ एटार्नी ।

4. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

5. केंद्रीय एवं राज्य विक्रयकर के स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी ।

6. परियोजना रिर्पोट की प्रति ।

7.वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

8.निजी भूमि कृय करने की दशा में डायवर्सन प्रमाण पत्र एवं भूमि रजिस्ट्री की प्रति ।

9. भूमि/भवन में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शा एवं चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र बिल वाउचर्स की प्रतियां ।

10. मशीनरी अन्य असेट व प्रीआरेटिव में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची एवं बिल वाउचर्स की प्रति तथा चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र ।

11. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

12. विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र म.प्र. विद्युत मंडल का ।

13. महाप्रबंधक द्वारा जारी उत्पादन दिनांक प्रमाण पत्र ।

14. एक घोषणा पत्र की स्थापित मशीनरी नवीन है एवं स्थापित भूमि, भवन व मशीनरी उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप है। पुरानी मशीन लेने की दशा में वेल्यूएसन व चार्टेड इंजीनियर का इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी बावत प्रमाण पत्र व इकाई की घोषणा कि पुरानी मशीन पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

15. इकाई से सबंधी अन्य इकाइयों की जानकारी व इकाई अथावा संबंधित इकाई द्वारा पूर्व प्राप्त अनुदान आदि की जानकारी ।
16. प्रदूषण निवारण मंडल का जल एवं वायु संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र व इपको का साइट किलियरेंस ।
17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
18. अन्य कोई त्र

1- ik=rk fuf'pr djus dk fy;s ekun.M %&

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।

3. इकाइयाँ नगर निगम की अधिसूचित सीमा में स्थापित न हों।

4. नगर/शहर जिनकी आबादी 2.00 लाख या अधिक (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) न हो।

5. नगर निगम की अधिसूचित सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर हो।

6. उपरोक्त शर्त क्र. 3, 4 एवं 5 म.प्र. शासन द्वारा विकसित औद्योगिक संस्थानों औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा ि वकसित किये औद्योगिक क्षेत्रों/केन्द्रो पर लागू नही होगी।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थाई पूजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा 17.50 लाख होगी।

8. थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को 50 लाख से अधिक के स्थाई पूजी वेस्ठन करने वालो उद्योगो को जिले दमोह में स्थापित होने वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

9. इकाई/उद्यमियों द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष भीतर

vkonu fu/kkfjr ii= e dk;ky; e iLrqr djuk vfuok;l gkxkA

- **fn;s tkus okys vuqnku@lgk;rk dk fooj.k ¼ftl les vuqnku dh jkf'k dk fooj.k gks½&**

1. स्थाई पूँजी वेष्ठन राशि पर 15ः अधिकतम राशि रूपये 15.00 लाख तक।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को 15ः अधिकतम 17.50 लाख तक अनुदान की पात्रता होगी।

- **vuqnku lgk;rk ds forj.k dh izfØ;k %&**

1. नवीन लघु उद्योगो को, आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रो/सहपत्रों सहित निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर 30 दिवस में जिला स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है। समिति द्वारा स्वीकृत राशि को उद्यमि द्वारा अनुबंध करने के उपरान्त उपलब्ध कराई जावेगी। यदि उद्यमि स्वीकृत अनुदान राशि से सन्तुष्ठ नहीं है या अन्य किसी कारणो से सन्तुष्ट नहीं है तो वह राज्य स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति के सदस्य सचिव को अपनी अपील कर सकता है।

2. मध्यम/वृहद उ़द्योग होने की दशा में आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा महाप्रबंधक 15 दिवस में अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग आयुक्त भोपाल को प्रेषित करेंगे जिस पर राज्य स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति द्वारा अनुदान स्वीकृति पर निर्णय लिया जावेगा।

- आवेदन करने के लिये कहा/किससे सम्पर्क करें :– जिले में स्थापित कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह (म.प्र.)
- आवेदन शुल्क :– कोई शुल्क नहीं है
- अन्य शुल्क :– कोई शुल्क नहीं है
- आवेदन पत्र का प्रारूप

FORM 3(SCS)
FORM OF COLLECTION FOR CLAIMING STATE CAPIAL SUBSIDY BY THE NEW INDL. UNITS

1. Name of the applicant unit and address
2. Constitution
   (Please state whether it is Proprietary /Partnership /Jt. Stock Company /Cooperative Society etc. and give names and address of proprietors /Partners /Directors Com. of dated registration be supplied.)
3. Location of the unit/undertaking Place Block District
   a) Existing
   b) Proposed

4 Registration No. & dt. Item Capacity
   a) SSI registration
      i) Provisional

ii) Permanent

b) Any other authority

i) Drug Controller

ii) Excise Commissioner

iii) Sales Tax regn. Central State

iv) Others

(Please furnish copy/copies of the licence/registration certificate etc. undercol.4)

5. State of commencement of production:

i) Partial production (It started)

ii) Full production

iii) Probable date of commencement of production, if partial or full production not started.

6. Products proposed/manufactured

a) Name of the products.

b) Annual Capacity

i) Quantity

ii) Value in Rs.

7. Cost of project. Furnish the copy of the latest project report.

(A) Fixed Capital (in Rs.)

i) Land

ii) Building

iii) Plant & Machinery

a) Indigenious

b) Imported

iv) Other fixed assets

____

Total

____

(B) Working capital ________Rs.

Grand Total

____

8. Source of finance

(a) Own funds

(b) Loans

i) M.P. Financial Corporation

ii) Name of the Banks

iii) Director of Industries

iv) Other

____

(These totals should tally with the total in the last column under item No.7 above)

9. Appraisal of project cost admitted by financial institution/Bank.

A. Fixed Assets

i) Land
ii) Building
iii) Plant & Machinery
iv) Other Fixed Assets
v) Contingencies

B. Working Capital -

Total -

---

10. Machinery on Hire Purchase Name of the Plant & Machinery Value
basis procured/to be procured Institution to be procured

---

11. Magnitude of effective steps taken
Evidence

i) Value of land acquired
ii) Building value of construction work

Plant & Machinery

a) Value of firm orders placed
b) Value of machines obtained out or the orders placed.

12. Details of fixed capital investment

Position as on Total expenditure Expenditure incurred Likely Total
proposed (excluding on fixed assets expenditure
working capital) actually acquired proposed
before after

2.4.81 2.4.81

a) Land
b) Building & electrical installation
c) Plant & Machinery
d) Tools, Jigs, dies, moulds etc.
e) Goods carriers
f) Other fixed assets
g) Contingencies -

Total -

---

13. Physical progress as on ____________________

(A) Land*
Rented/Leased/Purchased

(B) Building
Rented/leased/construction
completed/under construction and expenditure incurred.

(C) Plant & Machinery*

14. Employment
   a) Managerial
   b) Supervisory/Technical
   c) Workers-
      Skilled
      Semi-Skilled
      Un-skilled
   d) Others

15. Proposed/actual requirement of
   a) Water
   b) Electrical power with consent of MPEB
   c) Furnace oil etc.

I/We ____ name(s) ____________________________ being the proprietor/partner/Managing Director/Authorised Attorney etc) hereby certify that the information as given above is true and correct by the best of my/our knowledge and belief.

Place
Date

Signature of applicant.
Name and Designation
Address and Telephone No.

□ lyXudk dh lph & fuEukuqlkj gS

1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2. पार्टनर शिप डीड फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिऐशन कीप्रति

3. जनरल पावर ऑफ एटार्नी ।

4. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

5. केंद्रीय एवं राज्य विक्रयकर के स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी ।

6. परियोजना रिर्पोट की प्रति ।

7. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

8. निजी भूमि कृय करने की दशा में डायवर्सन प्रमाण पत्र एवं भूमि रजिस्ट्री की प्रति ।

9. भूमि/भवन में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची अनुमोदित ब्लू प्रंट नक्शा एवं चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र बिल वाउचर्स की प्रतियां ।

10. मशीनरी अन्य असेट व प्रीआरेटिव में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन ी सूची एवं बिल वाउचर्स की प्रति तथा चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र ।

11. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

12. विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र म.प्र. विद्युत मंडल का ।

13. महाप्रबंधक द्वारा जारी उत्पादन दिनांक प्रमाण पत्र ।

14. एक घोषणा पत्र की स्थापित मशीनरी नवीन है एवं स्थापित भूमि, भवन व मशीनरी द्योग की आवश्यकता के अनुरूप है। पुरानी मशीन लेने की दशा में वेल्यूएसन व ार्टेड इंजीनियर का इफेक्टिव लाइफ

ऑफ मशीनरी बावत प्रमाण पत्र व इकाई की ोषणा कि पुरानी मशीन पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

15. इकाई से सबंधी अन्य इकाइयों की जानकारी व इकाई अथावा संबंधित इकाई द्वारा पूर्व प्त अनुदान आदि की जानकारी ।

16. प्रदूषण निवारण मंडल का जल एवं वायु संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र व इपको कासाइट किलियरेंस ।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वाराजारी हो।

18. अन्य कोई विवरण/पत्र

lyXudk dk ik:i & flQ vkonu i= dk ik:i fu/kkfjr gA

- प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें – महाप्रबंधक जिला व्यापारएवं उद्योग केन्द्र दमोह/उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय भोपाल/सचिव वाणिज्य एवंउद्योग विभाग भोपाल।
- उपलब्ध धन राशि का विवरण – जिला स्तर पर वर्ष 2010–11 हेतु राशि रूपये 1लाख रूपये का बजट में प्रावधान है।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप में)

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	पिता का नाम	पत्रता का आधार	निवास				
					जिला	शहर	मुहल्ला	ग्राम	मकान क्र.
1	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

टीपः– विगत 10 वर्षो से कोई अनुदान किसी भी इकाई को जिले में प्रदाय नहीं किया गया है।

2- m|kxk dk Vel yku ij C;kt vunku ;ktuk 2004

- कार्यक्रम/योजना का नाम :– उद्योगो को टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना 2004
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :– 01–04–04 से 31–03–2009 तक
- कार्यक्रम का उद्देश्य :– पात्र लघु उद्योगों विद्यमान मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योगों के विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/आधुनिकीकरण, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योगों द्वारा स्थाई पूँजी निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम राशि रूपये 20.00 लाख (सात वर्ष) तक अनुदान की पात्रता है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– निरंक (प्राप्त आवेदन पत्र के आधर पर निराकरण किया जाता है)।
- लाभार्थी की पात्रता :– पात्र औद्योगिक इकाईयों (म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अपात्र इकाइयों को छोडकर) को अनुदान का लाभ मिलेगा। टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत अपात्र उद्योगो की सूची (पुनरीक्षित) (उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र–4.2.1 के अंतर्गत)

1. फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
2. आईल मिल
3. दाल मिल

4. राईस मिल, राईस हालिंग, पारवाईलिंग आफ पेडी, पोहा, मुरमुरा
5. कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
6. सभी प्रकार के प्रिटिंग प्रेस
7. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
8. आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज
9' बीयर, पोटेबल अल्कोहल निर्माण व इंडस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण
10' टेलरिंग
11. कारपेन्टरी, लकड़ी की चिराई, आरामिल, जायनरी, लकड़ी का सभी प्रकार का सामान बनाना
12. ड्रायक्लिनिंग
13. रस्सी बनाना
14' बुक बाइंडिंग
15. पेपर बैग्स
16. रबर स्टाम्प्स मेकिंग
17. एक्सरसाइज नोटबुक्स तैयार करना
18. लिफाफे बनाना
19. बेकरी, प्रोडक्ट्स एवं बिस्कुट्स
20. पोल्ट्री, केटल फीड, पोल्ट्री फीड
21. कन्फेक्शनरी
22. मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना
23. फोटो स्टेट का कार्य
24. क्लीनिक पेथालाजिकल लेबोरेटरी
25. डाटा प्रोसेसिंग
26. पटाखे बनाना
27. ब्यूटी पार्लर
28. स्कोअरिंग
29. होजियरी समान बनाना
30. पत्तल दोना बनाना
31. बोरवेल, ट्यूबवेल ड्रीलिंग
32. हायब्रोड सीड निर्माण
33. गेस्ट हाउस, होटल हाउस बोट
34. जूते बनाने के पेटर्न व मोल्डिण
35. स्मोकलेस फ्यूल बनाना, बिहाई बहाई कोक बनाना
36. कार्क मेकिगं
37. ब्रास / कॉपर प्लेट तथा सर्कल निर्माण
38. आल टाइप्स आफ लेंमीनेशन (जुट बेग्ज, लेमिनेशन छोड़कर)
39. स्टील क्लिप बनाना
40. पेपर से बनाई वस्तुएं जैसे पेपर ट्यूब मेंकिंग
41. फिशिंग नेट मेंकिंग
42. स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण
43. सभी प्रकार का प्रिंटिंग कार्य (हेंडीक्रफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)
44. इलेक्ट्रिकल जाब वर्क
45. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पेनल असेंबलिग
46. टायर रिस्ट्रेडिंग जाब वर्क
47. रिकंडीशनिंग एवं सर्विसींग आफ आटो ऐंजिन
48. वुड वूल इन्सूलेशन बोड
49. रट्रेडिंग आफ द इन्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल मोल्डेड प्रोडक्ट व रबर होजेज
50. डिस्टल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)
51. फ्लेईग कार्ड मेकिंग

52. प्रिटिंग आफ एल.डी.पी. व एच.डी.पी. बैग्ज
53. लाईम पावडर, लाईम चिप्स एवं डोलोमाईट पावडर बनाना
54. ग्राईडिंग आफ मिनरल (स्वतन्त्र इकाई)
55. साफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व बाटलिंग
56. स्लाटर हाउस
57. ऐरिऐटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सोफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व वाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर)
58. तम्बाकू एवं तंबाकू पर आधारित उत्पाद
59. मदिरा
60. पान मसाला
61. गुटखा
62. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किऐ जावें।

ukV%&

1. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली ईकाई यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की सुविधा नहीं चाहती है तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।

2. किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना के साथ टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना 2004 की पात्रता नहीं रखेगी।

3. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा की वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की सुविधा का लाभ लेना चाहता है, अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना एवं टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प दिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

4. नवीन उद्योग नीति में प्रावधान अनुसार डायवर्सिफिकेशन /क्षमता/विस्तार/तकनीकि उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगी।

□ iokIi{kk,sa %&

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/ वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवंपुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वालीकरने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य किया गया है तो ऐसी ईकाईयों को यह सुविधा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ईकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता विगत 3 वर्षो के उत्पादन के आधार पर आंकलित की जावेगी, से अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिले की श्रेणी के 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा।

4. ब्याज अनुदान की मात्रा एवं अवधि प्रथम टर्मलोन के भुगतान दिनांक से होगी।

5. दिनांक 01–04–2004 के पूर्व उत्पादन प्रारंभ करने वाले ईकाईयों को पूर्व नियम प्रभावशील रहेंगे।

□ vuqnku@lgk;rk izkIr djus dh izfØ;k %&

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

4. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

5. ऋण नियमित भुगतान के संबंध में शाखा प्रबंधक (बैंक) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

□ ik=rk fuf'pr djus ds fy; ekun.M %&

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत सात वर्ष हेतु बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिले की श्रेणी के 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।

4. इकाईयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से टर्म लोन प्राप्त किया गया हो।

5. दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरणहो) :–

    1. टर्म लोन पर 5ः – 7 वर्ष हेतु – रूपये 20.00 लाख तक

    2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को ब्याज अनुदान बिना किसीअधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के 5ः की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।

□ vuqnku lgk;rk ds forj.k dh izfØ;k %&

1. वित्तीय संस्था से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस योजना अन्तर्गत क्लेम प्राप्त होने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का सत्यापन कराने के उपरान्त अनुदान राशि 7 दिवस में स्वीकृत कर आवंटन की राशि से वित्तीय संस्था को संबंधित इकाई के टर्म लोन पर ब्याज की राशि में समायेाजित करने हेतु भुगतान किया जावेगा।
2. इस योजना में मार्ग दर्शन/व्याख्या उद्योग आयुक्त द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं एवं बाध्यकारी होगा।

□ आवेदन करने के लिये कहा/किससे सम्पर्क करें :– जिले में स्थापित कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह (म.प्र.)

□ आवेदन शुल्क :– कोई शुल्क नहीं है

□ अन्य शुल्क :– कोई शुल्क नहीं है

□ आवेदन पत्र का प्रारूप

STATEMENT OF INTEREST SUBSIDY CLAIMED FROM DISTRICT INDUSTRIES CENTRE DAMOH (M.P.)

Name of Bank --------------------------------------Branch : ---------------------------------

S. No.	Name & Address of The Unit	S.S.I. Registration No. & Date	Date & Amount of Loan Sanctioned	Date of Disbursement Ist Installment	Period	Products of Each Quarter	Interest Charged For Each Quarter	Amount of Interest Subsidy Received From DTIC So Far	Total Interest Subsidy Amount Claimed	Weather Unit Is Installment Regularly Yes or Not	Remark
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1. The above unit is not defaulter as per Bank's rules.
2. The above claims have been charged on Term Loans.

BRANCH MANAGER

□ lyXuks dh lwph %&

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।
2. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति।
3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।
4. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।
5. ऋण नियमित भुगतान के संबंध में शाखा प्रबंधक (बैंक) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

□ संलग्नों का प्रारूप :– सिर्फ आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।

□ प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें – महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह/उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय भोपाल/सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भोपाल।

□ उपलब्ध धन राशि का विवरण – जिला स्तर पर वर्ष 2010–11 हेतु राशि रूपये 1 लाख रूपये का बजट में प्रावधान है।

□ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप में)

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	पिता का नाम	पात्रता का आधार	निवास				
					जिला	शहर	मुहल्ला	ग्राम	मकान क्र.
1.	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

टीपः विगत 10 वर्षो से कोई अनुदान किसी भी इकाई को जिले में प्रदाय नहीं किया गया है।

v/;k; & 14 ¼eSuqvy 13½
fj;k;rk]vuKki=k rFkk ikf/kdkjk d ikflrdrkvk d lc/k e fooj.k

1. म0प्र0 उद्योग निवेश संबद्धन सहायता योजना 2004
2. परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति
3. पेटेन्ट व्यय प्रतिपूर्ति
4. आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति।

14-1 d'lk;k fuEu ik:i ij tkudkjh miyC/k djk;s %&

1. कार्यक्रम/योजना का नाम – मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संबर्धन सहायता योजना 2004
2. प्रकार – यह योजना उद्यमियो को वाणिज्यकर से रियायत/छूट प्रदान करती है।
3. उद्देश्य– यह योजना राज्य में रोजगार वृद्धि नवीन इकाईयो के स्थापना एवं नवीन पूंजी वेष्ठन में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
4. लक्ष्य(विगत वर्ष में) – वर्ष 2004–05 में कोई लक्ष्य निर्धारित नही था

5. पात्रता – 1. लद्यु मध्यम वृहद् श्रेणी की ऐसी औद्योगिक परियोजना जिसकी स्थापना हेतु जि0व्या0उ0के0 से प्रस्तावित/स्थाई पंजीयन , भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (स्व्)/औद्योगिक लाईसेन्स/आई.ई.एम. /अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया है। एवं जो दमोह जिले में स्थापित है।

2. ऐसी इकाईया जिन्में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 1.04.02004 से अथवा इस दिनांक के पश्चात प्रारंभ किया गया हो ।

3. नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने जिले में पंजी कृत व्यापारी द्वारा किसी भी माल के उत्पादन के लिये जिले में स्थापित उद्योगिक इकाई जिसमें म0प्र0 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंन्ट फेसीलिटीशियन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल इस योजना के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया हो व इकाई में वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक तक स्थिर अस्थि में (प्रसंग में) पूंजी निवेश 1 करोड़ से अधिक किया गया हो एवं जिसने 1.04.04 को या उसके पश्चात लेकिन दिनांक 1. 04.09 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो ।(नई औ0 इकाई केप्रसंग में)

4. विद्यमान औ0 इकाई द्वारा विस्तार डायवरसीफिकेशन,तकनीकि उन्नयन , आधुनिकी करण कर क्षमता विस्तार नवीन आईटम का उत्पादन किया हो एवं जिसने म0प्र0 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटीसियन कार्पोरेशन लिमिटेड से इस योजना अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया हो। व इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक तक स्थिर अस्तियो में रूपय 5 करोड़ या उससे अधिक पूंजी वेष्ठन किया हो एवं जिसमें 1.4.2004 को या उसके पश्चात लेकिन दिनांक 1.4. 2009 के पूर्व उत्पाद प्रारम्भ किया हो। विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता जो कि विगत तीन

वर्षो के उत्पादन के औसत आधार पर आंकलित कि जावेगी से अधिक होने वाले उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा जिन इकाईयो द्वारा पूर्व मे स्थापित अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया है। उन्हे विस्तार योजना का लाभ नही मिलेगा ऐसी इकाईयो को औसत उत्पादन पंजीकृत क्षमता जो भी अधिक हो के विक्रय माल पर जमा कर के विरूध योजना अंतर्गत सहायता राशी प्राप्त नही होगी । स्थाईपूंजी निवेश की गणना हेतु एक करोड़ या उससे अधिक की परियोजना में वाणिज्यक उत्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक किये गये व्यय सम्मलित किये जावेगें वाणिज्य कर में छूट ऐसे उद्योग हेतु प्राप्त होगी जो मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा म0 प्र0 में उत्पादित माल के विक्रय पश्चात कर के रूप में जमा की गई राशि जिसमें उत्पादन हेतु क्रय किये गये कच्चे माल के क्रय कर के भुगतान की गई राशी सम्मलित नही होगी ।(वेट लागू होने पर केवल वाणिज्य कर के रूप में जमा की गई राशि कर के रूप में मान्य होगी)

6- ik=rk dk vk/kkj &

1- ubZ vkS|ksfxd bdkbZ vFkok fo|eku vkS|ksfxd bdkbZ dk fuEukuqlkj lfo/kk fd ik=rk gksxh A

जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थाई पूंजी वेष्ठन(रू.करोड़ में)	सहायता की अवधि	प्राप्त सहायता राशी (नवीन अथवा अतिरिक्त स्थाई पूंजी वेष्ठन रू. करोड़ में)
पिंछड़ा जिला श्रेणी ''स'' दमोह	1.00 से 10.00	10 वर्ष	50 प्रतिशत
पिंछड़ा जिला श्रेणी ''स'' दमोह	1.00 से 10.00 करोड़ से अधिक	10 वर्ष	75 प्रतिशत

2. यह सहायता राशि जमा किये गये वाणिज्यकर एवं केन्द्रीय कर की राशि(जिसमें कच्चे माल के कृय पर दिये गये वाणिज्य कर सम्मलित नही है ।) 50 प्रतिशत/75 प्रतिशत के समतुल्य राशि उद्योग निवेश उद्योग समवर्धन सहायता के रूप मे इकाई की वाणिज्य कर खाते में आगामी वर्ष में विमुक्त की जावेगी । इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जावेगा । कुल सहायता राशि अस्तिया में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नही होगी ।

3. इकाई का स्थिर अस्तीयो में पूंजी निवेश एक करोड़ या उससे अधिक हो अथवा विद्यमान इकाई द्वारा विस्तार डायवर्सिफिकेशन तकनीकि उन्नयन में कम से कम पांच करोड़ रूपय और पूर्व स्थाई निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हो।

4. इकाई को प्रबंधसंचालक ट्राईफेक लि. भोपाल से पंजीयन प्राप्त हो जिसने जि0 व्य0 उ0 के0 अथवा ट्राईफेंक के कार्यालय में दिनांक 31.03.2007 के पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो व पंजीयन प्राप्त कर लिया हो एवं दिनांक 1.04.2009 के पूर्व वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो। दिनांक 31.03.09 के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईया सहायता हेतु पात्र नही होगें।

5. औ0 ई0 होकर पंजीकृत व्यापारी हो ।

7. पूर्व अपेक्षाये उपरोक्तानुसार।

8. प्राप्त करने की प्रकिया – जिला स्तर पर एक करोड़ से तीन करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली इकाईयो के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र एक में महाप्रबंधक जि0 व्या0 उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जाएंगे । एवं पंजीयन जारी करने के लिये पत्र म0 प्र0 ट्राईफक भोपाल को चैक लिस्ट अनुसार आवेदन प्राप्ती के सात दिवस के भीतर भेजे जाएंगें। रू. तीन करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाईया पंजीयन हेतु प्रपत्र एक में आवेदन पत्र सीधे प्रबंध संचालक ट्राईपेक भोपाल को प्रेसित करेंगे । पात्र इकाईयो का पंजीयन प्रबंध संचालक ट्राईफेक भोपाल द्वारा प्रपत्र 2 में जारी किये जावेगें योजना अंतर्गत दिनांक 31.3.2007 तक प्राप्त आवेदन पत्रो को ही पंजीयन के लिये विचारार्थ लिया जावेगा ।योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तावित परियोजना की स्थिति में किया

जावेगा । तथापि म0प्र0 उद्योग निवेश संबर्द्धन सहायता योजना 2004 की शासन द्वारा स्वीकृति दिनांक से 60 दिवस के भीतर दिनांक 1.04.2004 या उसके पश्चात स्थापित होने वाली इकाईया अथवा जिन इकाईयो ने योजना की स्थापना हेतु प्रभावी कदम ले लिये है। वे पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन प्राप्त कर सकेंगें। इकाई राष्ट्रीय/केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओ/वाणिज्यक बैंक अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओ से प्रकरण की स्थिति अनुंसार अनुमोदित अथवा स्वीकृत हो । स्ववित्त पोषित होने कि स्थिति में एवं इकाई के वित्तीय प्रावधान संतोष प्रद होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार परियोजना का परीक्षण आई.डी.बी.आई. अथवा एमपी.ए फ.सी जैसी वित्तीय संस्थाओ से करान के उपरान्त इकाई का पंजीयन किया जा सकेगा ।

9. 1. निवेश संबर्धन – सहायता राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को प्रपत्र 5 में आवेदन करना होगा रू. 1 करोड़ से तीन करोड़ तक के पूंजी वेष्ठन वाली इकाईयो को महाप्रबंधक जि0 व्या0 उ0 के0 को मय सभी सह पत्रो के . 51 . आवेदन करना होगा।महाप्रबंधक जि0 व्या0उ0के0 द्वारा प्रकरण परीक्षण करएवं स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रकरण जिला स्तरीय उद्योग निवेश संबद्धन सहायता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगें।

2. रू. तीन करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईया प्रपत्र 5 मे महाप्रबंधक जि0 व्या0 उद्योग केन्द्र को दो प्रतियो में आवेदन करना होगा । जिसकी सूचना इकाई द्वारा प्रबंध संचालक ट्राईफेड भोपाल को प्रेषित करेगी । प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन संबंधित जिले के ळड.क्ज्ष्ब द्वारा 15 दिवस में अनिवार्य रूप से कर , अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण MD-TRIFEC को प्रेषित करेंगे। इसके उपरान्त MD-TRIFEC द्वारा प्रकरण राज्य उद्योग निवेश सबंद्धन सहायता समिति के समक्ष रखा जावेगा। यह समिति प्रकरण पर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।

3. जिला/राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृति पश्चात GMDTIC@ MD-TRIFEC प्रपत्र 6 (अ)/6(ब) पर यथा प्रकरण अनुसार स्वीकृत जारी करेंगे। स्वीकृति आदेश अनुसार राशि विमुक्त करने के पूर्व DTIC/ MD-TRIFEC के साथ प्रपत्र क्र. 7 पर इकाई के साथ अनुवध निष्पादित करेंगे । तदोपरांत स्वीकृत राशि को बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफट द्वारा इकाई विशेष के वाणिज्य कर खाते में जमा किया जायेगा। ऐसा भुगतान संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी को इकाई के लिए वर्ष में एक बार किया जावेगा।

4. इकाई से प्राप्त चेक की पावती ही उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा।

5. यह प्रणाली इकाई के पक्ष में उद्योग निवेश संबर्द्धन सहायता की पात्रता अवधि के वर्षो तक अथवा सहायता की अधिकतम सीमा/समिति द्वारा मान्य समय सीमा अर्थात् स्थिर अस्तियां में पूंजी निवेश तक की सीमा (जो भी पहले समाप्त हो) तक जारी रहेगी।

6. वाणिज्य कर विभाग को विक्रयकर भुगतान की देयता के संबंध में दोषी हाने पर या विभाग के डयूज वकाया की स्थिति में इकाई का प्रकरण विचारक नही होगा।

7. समिति से स्वीकृति उपरान्त चेक वितरण में वजट में प्रवधान के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से विलम्ब होने पर ब्याज देय नही होगा।

8. इकाई सुविधा अवधि में एवं सुविधा अवधि के पश्चात 5 वर्षो तक चालू रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू–राजस्व की वकाया वसूली की तरह वसूल की जावेगी।

9. म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर जारी उत्पाद उद्योगो की सूची में वर्णित उद्योग इस योजना के लिए अपात्र होगे।

10. रियायत , अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा –दि0 31.3.2007 के पूर्व आवेदन पत्र DTIC/MD के कार्यालय में प्रस्तुत कर सुविधा हेतु पंजीयन प्राप्त कर लिया हो।

11. राज्य स्तरीय समिति की शेष समय सीमा एवं शर्ते उपरोक्तानुसार ही है। किसी निर्णय के विरूद्ध अपील म.प्र. शासन C&I को की जा सकेगी एवं जिला स्तरीय समिति के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय समिति को की जा सकेगी। समिति के निर्णय को सूचनां प्राप्ति के 30 दिवस में अपील प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र म.प्र. उच्च न्यायालयहोगा।

आवेदक शुल्क ....शुल्क नही है।

आवेदन पत्र का प्रारूप – सेडूल , फार्म नं. 1 एवं 5 ....

संलग्न को की सूची ....

1. मेमोरेड़क एण्ड आर्टिकल कमांक एसोसियेसन की प्रति
2. संचालको के नाम ,पता , टेली0नं. फेक्स , ई–मेल ।
3. भारत शासन द्वारा जारी SIA/L.01/IND.Licene/ssI पंजीयक कीप्रति 0

4. प्रेजक्ट रिपोर्ट की प्रति जिससे प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सम्मिलित हो
5. वित्तीय संस्थाओ द्वारा स्वीकृत ऋण संबंधी स्वीकृत पत्र।
6. C.A. प्रमाण पत्र (विगत 2 वर्षो का विस्तार के प्रकरणो में)
7. प्लांट एवं मशीनरी की सूची मय बिल/वाउचर की प्रतियो के
8. कच्चेमाल की वार्षिक आवश्यकता मात्रा सहित
9. उत्पाद का नाम वार्षिक क्षमता (मात्रा मूल्य सहित) एवं विगत 3 वर्षो में दिया गया उत्पादन मात्रा–मूल्य सहित।

SCHEDULE

(As per condition No. 4)

The Accistance Receiver shall maintain or cause to be maintained in good condition the premises , building , machinery , tools etc., so that the industry keeps running for the eligibility period period from the date ………………..up to dated …………………..

1.	Land	Rs-------------------------
2.	Building	Rs-------------------------
3.	Plant & Machinery	Rs-------------------------
4.	Pollution Control Equipments	Rs-------------------------
5.	Miscceleneous fxed Assets	Rs-------------------------
	Total	Rs-------------------------

Assostamce Receiver
Signature , Name &
Address

Date :

Form No. 1

Application form for Registration under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 (To be submitted In duplicate)

1. (a) **Name of the applicant Industrial Unit**
   (b) Factory Address
   Telephone No.
   Fax No
   e-mail address
   (c) Address of the Registered off
   Telephone No.
   Fax No
   e-mail address

(d) Name and Designation of the
Contact person
Telephone No.
Fax No
e-mail address

2. Whether the project (against which the application for receiving assistancesis being made) is for (Please write specifically)
(a) Establishment of a new unot
(b) Expansion project in the
Existing unit (expansion/
diversification/technology
upgradation modemization .
(c) Expansion project in a newLocation

3. (a) Constitution :
Public Ltd./Private Ltd.Co
/Co-operative Society /Partnership Firm

(b) Date of establishment/
Incorporation/Registration of
The Company/Co-operative
Society

4. Location/address of the unit :

(A) Location of the project aginst which the grant is sought
Name of the Location :
Police Station :
Municipality/Block :
Post Office :
District :
Telephone No. :
Faz No. :

(B) Location of other units (if any) I Madhya Pradesh

Location : District :
Location : District :
Location : District :

5. Project Cost :

5.1 (A) For New Units (Please Furnish original certificate from CharteredAccountant)

Rs. In lakhs

Particulars	**Estimated cost**
Land	
Building	
Plant and machinery	
Electrical Installation	
Pollution control Equipments	
Misc.fixed assets	
Total	
Preliminary and Preoperative expenses	

Grand Total	

(B) Means of finance

Rs. In lakhs

Particulars	Proposed
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

5.2 (A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme :

Rs. In lakhs

Particulars	**Original Investment as on Date- -------------**	**Proposed Investment in Expansion/Diversification/technology Upgradation Scheme**	**Total Investment**
Land			
Building			
Plant and Machinery			
Electrical Installaion			
Pollution Control Equipments			
Investment in Technology Upgradation			
Misc.fixed assets			
Total			
Preliminary and preoperative expenses			
Grand Total			

5.3 .1 Means of Finance

Rs. In lakhs

Particulars	Proposed
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

6. Name of items of manufacture & annual capacity (for which assistance is sought)

6.1 For New Units

No.	Name of Item	Annual Capacity	Proposed Sales Realization (in Rs.Crore) in the year -- ---------------	Approx. Tax Amount Paid (MPCT+CST) (in Rs.lacs) in which tax paid on raw material Purchased is not included

6.2 In case of expansion/diversification/technology upgradation

NO.	Name of Item	Existing Annual Capacity (Average Production of last 3 yrs.)	Proposed Additional/ New Capacity	Total Annual capacity	Proposed Sales RealiZation of additional capacity / new capacity in the year --- ------------	Approx. Tax Amount Paid (MPCT+CST) of additional/ new capacity , in which tax paid on raw material purchased is not included

7. (A) Provisional SSI Registration NO. & Date :
   (b) Permanent SSI Registration NO. & Date :
8. Number and date of IEM issued by Govt. of India :
   Secretariat for Industrial Approval .
   Letter of intent/Industrial Licence /Other approval .
9. Power requirement (KVA)
   date of power connection
10. Employment Potential in the project

No.	Particular	With in MP	Out of MP	Total
1	Managerial			
2	Factory workers			
3	Other workes			
4	Total			

11. Whether the location conforms to
    pollution Control Board norms
    If yes , write consent No. and date
    (a) Under air pollution act
    (b) Under water pollution act

12 Estimated Daily requirement of water and source of supply

13. Registration under MPCT Act 1994 & CST Act 1956

14. Likely date of commissioning of the production

------------ ------------- ---------------

CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief .

Signature of the applicant
Name and Statue of the Signatory
Seal of the Industrial unit .

Place :
Date :

Annexures

(a) A copy of the registration with memorandum and articles of association issued by the registrar of companies.

(b) A statement of the name and residence address of the director/partner/owners of the company , including telephone number , fax no. & e-mail address .

(c) A copy of the acknowledgement reference no. By sia/letter of intent/industrial other govt. Of india approval/ssi registration no.

(d) A project report – including pollution control measures envisaged .

(e) Photocopy of sanction letter form central financial institution/state financial institution etc. Sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project , certified by a director of the company .

(f) Copy of the audited balance-sheet for last 2 years. (in case of expansion project)

(g) A list of plant and machinery required for the project (with value)

(h) Statement in respect of requirement of raw matetial for the project (including names and quantity required per annuam).

(i) Existing manufacturing activities in madhya pradesh stating items , annual approved capacity , annual installed capacity , annual production during last three year (in quantity & value in rs. Lakhs)

For office use.

File no.	District	Date of receipt	Date of approval by committee	Registration no. & date of issue by md trifac

Form No. 5

Application form for Receiving under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 (To be submitted I duplicate)

1. (a) **Name of the applicant**

Industrial Unit

(c) Factory Address
Telephone No.
Fax No
e-mail address

(e) Address of the Registered off
Telephone No.
Fax No
e-mail address

(f) Name and Designation of the
Contact person
Telephone No.
Fax No e-mail address

3. Whether the project (against which the application for receiving assistancesis being made) is for (Please write specifically)

(a) Establishment of a new unot

(b) Expansion project in the
Existing unit (expansion/
diversification/technology
upgradation modemization .

(c) Expansion project in a new
Location

3. (a) Constitution :
Public Ltd./Private Ltd.Co
/Co-operative Society /Partnership Firm

(c) Date of establishment/
Incorporation/Registration of
The Company/Co-operative
Society

4. Location/address of the unit :

(C) Location of the project aginst which the grant is sought
Name of the Location :
Police Station :
Municipality/Block :
Post Office :
District :
Telephone No. :
Faz No. :

(D) Location of other units (if any) I Madhya Pradesh

Location : District :
Location : District :
Location : District :

5. Project Cost :

5.1 (A) For New Units (Please Furnish original certificate from Chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Land	

Building	
Plant and machinery	
Electrical Installation	
Pollution control Equipments	
Misc.fixed assets	
Total	
Preliminary and Preoperative expenses	
Grand Total	

(B) Means of finance (Please funish certificate fro, Chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

5.2 (A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme :(Please funished certificate from chartered Accountant)

Particulars	Original Investment as on Date- ---------------- --	Actual Investment in Expansion/Diversification/technology Upgradation Scheme as on date of production commenced	Total Inmvestment
Land			
Building			
Plant and Machinery			
Electrical Installaion			
Pollution Control Equipments			
Investment in Technology Upgradation			
Misc.fixed assets			
Total			
Preliminary and preoperative expenses			
Grand Total			

5.2 (B) Means of Finance (Please furnish certificate from chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

6 Name of items of manufacture & annual capacity (for which assistance is sought)

6.3 For New Units

No.	Name of Item	Annual Capacity	Actual Sales Realization (in Rs.Crore) in the year -----------------	Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT+CST) (in Rs.lacs) in which tax paid on raw material Purchased is not included

In case of expansion/diversification/technology upgradatio

NO.	Name of Item	Existing Annual Capacity (Average Production of last 3 yrs.)	Additional/ New Capacity	Total Annual capacity	Actual Sales RealiZation of additional capacity / new capacity in the year --- -------------	Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT+CST) of additional/ new capacity , in which tax paid on raw material purchased is not included

7. (A) Provisional SSI Registration NO. & Date :
   (c) Permanent SSI Registration NO. & Date :
8. Number and date of IEM issued by Govt. of India : Secretariat for Industrial Approval ./ Letter of intent/Industrial Licence /Other approval .
9. Power load installed & date of power connection
10. Employment Potential in the project

No.	Particular	With in MP	Out of MP	Total
1.	Managerial			
2	Factory workers			
3	Other worke			
4	Total			

11. Whether the location conforms to pollution Control Board norms If yes , write consent No. and date
    (c) Under air pollution act
    (d) Under water pollution act
12 Daily requirement of water and source of supply
13. (a) Tax paid on sales of goods at serial : No.6.1/6.2 under the M.P. : Commerical Tax Act , 1994 for the : Year ………….. — Rs. (in figure) …………… Rs. (in words)……………. ……………………………
    (b) Central Sales Tax Paid under CST : Act 1956 on sales of goods at serial No.6.1/6.2 of Inter State : From M.p. for the year …………… — Rs. (in figure) …………… Rs. (in words)…………….
    (c) Total Tax (a) + (b) paid for the : Year …………………………… : — Rs. (in figure) …………… Rs. (in words)……………. ……………………………
14. Name of the Bank and it's branch with Bank account was made . ……………………………
15 Registration No. of the dealer under the M.P. Commercial Tax Act , 1994 & Central Sales Tax Act. 1956 …………………………… …………………………… ……………………………
16 Registration No. of the dealer issued by Managing Director M P Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd. , Bhopal under Udyog Nivesh Samvardhan sahayata Yojana 2000 …………………………… …………………………… ……………………………
17 Date of commissioning of the production/expanded capacity production commenced …………… …………… ………………………… CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief .

Signature of the applicant
Name and Statue of the Signatory
Seal of the Industrial unit .

Place :
Date :

Annexures

(j) A copy of the registration with memorandum and articles of association issued by the registrar of companies.

(k) A statement of the name and residence address of the director/partner/owners of the company , including telephone number , fax no. & e-mail address .

(l) A copy of the acknowledgement reference no. By sia/letter of intent/industrial other govt. Of india approval/ssi registration no.

(m) A project report – including pollution control measures envisaged .

(n) Photocopy of sanction letter form central financial institution/state financial institution etc. Sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project , certified by a director of the company .

(o) Copy of the audited balance-sheet for last 2 years . (in case of expansion project)

(p) A list of plant and machinery required for the project (with value)

(q) Statement in respect of requirement of raw matetial for the project (including names and quantity required per annuam).

(r) Existing manufacturing activities in madhya pradesh stating items , annual approved capacity , annual installed capacity , annual

production during last three year (in quantity & value in rs. Lakhs) For office use.

File no.	District	Date of receipt	Date of approval by committee	Registration no. & date of issue by md trifac

2- ifj;ktuk O;; ifrifr

14-1 d`i;k fuEu ik:i ij tkudkjh miyC/k djk;s %&

□ कार्यक्रम/योजना का नाम :– परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति।

□ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) :– उद्योगों को रियायत।

□ उद्देश्य :– मान्यता प्राप्त कसंलटेंट से औद्योगिक इकाईयों को परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति हेतु यह योजना दिनांक 01–04–2004 से लागू है।

□ लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– कोई लक्ष्य निधारित नहीं था।

□ पात्रता :– पात्र लघु उद्योग, ब्रहद एवं मध्यम उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन लागत का एक प्रतिशत (1 करोड़ तक की परियोजना पर अधिकतम 3 लाख रूपये) एवं 1/2 प्रतिशत परियोजना लागत 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिकतम 3 लाख की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

□ पात्रता का आधार :– निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

vik= bdkb;k dh lph

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान–मसाला

6. गुटका

7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

□ पूर्वापेक्षाएं : इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त कसंलटेंट से औधोगिक इकाई की परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया हो।

□ प्राप्त करने की प्रक्रिया :– निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।

2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।

3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।

4. मान्यता प्राप्त संस्था से हुए अनुबंध की प्रति।

5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु किये गये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित) संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।

□ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :– आवंटन होने की स्थिति में 7 दिवस के अन्दर भुगतान कर दिया जावेगा।

□ आवेदन शुल्क :– कुछ नहीं।

□ आवेदन पत्र का प्रारूप :–

APPLICATION FORM

(i) Name of the applicant
(ii) Present activities
(iii) Present organisational pattern and with antecedents of owners, partners or directors, etc.
(iv) Proposed industry with location and tentative capacity and cost with break-ups wherever possible (Please give all possible information)
(v) The type of study report desired.
(vi) Extent to which promoter would be willing to invest funds.
(vii) Preference regarding consultants.
(viii) Preliminary steps taken, if any. (This would include information regarding the application for registration with the State Director of Industries DGTD or some other competent agencies, if and when required by law of regulations, application for getting industrial licence, negotiations with consultants, collections of basic data etc.)

Signature of the Applicant

Place :
Date :

□ laykuksa dh lwph %&

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।

2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।

3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।

4. मान्यता प्राप्त संस्था से हुए अनुबंध की प्रति।

5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु किये गये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)

6. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।

☐ संलग्नों का प्रारूप :– सिर्फ आवेदन–पत्र उपरोक्तानुसार।

☐ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्किर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास का पता
1	निल	निल	निल	निल

टीपः विगत 10 वर्षो से किसी भी इकाई को व्यय प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

3- iVsUV 0;; ifrifrl ;kstuk

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें :–

☐ कार्यक्रम/योजना का नाम :– पेटेंन्ट व्यय प्रतिपूर्ति योजना।

☐ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) :– उद्योगों को रियायत।

☐ उद्देश्य :– उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पात्र उद्योगों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख की सीमा तक की जावेगी।

☐ लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– कोई लक्ष्य निधारित नहीं।

☐ पात्रता :– उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पात्र उद्योगों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख की सीमा तक की जावेगी। यह सुविधा/प्रतिपूर्ति पेंटेंट कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/प्रक्रियाओं का दिनांक 01–04–2004 के पश्चात् पेंटेंट कराने हेतु प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को देय होगी। यह प्रति पूर्ति पेटेंट रजिस्ट्रेशन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्राप्ति हेतु किये गये व्यय के वास्तविक व्यय पर किया जावेगा।

1. पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क की राशि।
2. पेटेंट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र साज सज्जा।
3. पेटेंट, प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये शुल्क।
4. प्री–ऑपरेटिव व्यय (बिन्दु क्रमांक– 1, 2, 3 को कुल राशि के 10 प्रतिशत की राशि ही मान्य होगी।
5. इस कार्य पर हुये व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटेन्ट के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में समस्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।
7. यह योजना मध्य प्रदेश में स्थापित लघु, वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये लागू होगी। यहयोजना दिनांक 01–04–2004 से 31–03–09 तक के लिये प्रभावशील होगी। पेटेंट प्राप्तिके लिये अधिकतम एक वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

☐ पात्रता का आधार :– निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

vik= bdkbl;k dh lph

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान–मसाला
6. गुटका
7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

□ पूर्वापेक्षाएं :– पात्रता में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार।

□ प्राप्त करने की प्रक्रिया :– निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. पेटेंट पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र। योजना अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की राशि के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित विषय के विशेषज्ञों अथवा मैप कास्ट (मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योंगिकी परिषद) अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श लेकर कर सकेगें।

□ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :– पेटेंट प्राप्ति के अधिकतम 1 वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

□ आवेदन शुल्क :– कुछ नहीं।
□ आवेदन पत्र का प्रारूप :–
□ संलग्नों की सूची :–

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. पेटेंट पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।
7. पेटेंट पंजीयन प्रमाण–पत्र।

□ संलग्नों का प्रारूप :– सिर्फ आवेदन–पत्र।
□ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–

foHkkx }kjk inRr Øekd	ikfldrk dk uke	o/krk fdl fnukd rd g	ofYn;r	fuokl dk irk
1	fuy	fuy	fuy	fuy

टीपः यह योजना मध्य प्रदेश में 01–04–2004 से ही लागू की गई है।

4- vkbl-,l-vk- & 9000 iek.khdj.k 0;; ifrifr

14-1 dk;Z fuEu ik:i ij tkudkjh miyC/k djk;s %&

- कार्यक्रम/योजना का नाम :– आई.एस.ओ. – 9000 प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति योजना।
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) :– उद्योगों को रियायत।
- उद्देश्य :– उद्योगों में गुणवत्ता प्राप्ति हेतु उनके द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यह योजना लागू की गई है।
- लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– कोई लक्ष्य निधारित नहीं।
- पात्रता :– यह योजना दिनांक 01–04–2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आई.एस.ओ. 9000 अर्थात् उसके गुणवत्ता प्रमाण–पत्र (जिसकी सूची राज्य शासन द्वारा प्रकाशित की जावेगी) प्राप्त करने में किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी। बशर्ते की प्रमाणीकरण प्राप्त हो और 1 वर्ष तक मेन्टेन्ड हो। यह सुविधा पात्र इकाईयों को ही प्राप्त होगी।
- पात्रता का आधार :– निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

vik= bdkbl;ka dh lph

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान–मसाला
6. गुटका
7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

□ पूर्वापेक्षाएं :– पात्रता में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार।

□ प्राप्त करने की प्रक्रिया :– निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन–पत्र।

2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।

3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।

5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।

6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र। योजना अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की राशि के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में किया जावेगा।

□ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति के अधिकतम 1 वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

□ आवेदन शुल्क :– कुछ नहीं।

□ आवेदन पत्र का प्रारूप :–

□ संलग्नों की सूची :–

1. आवेदन–पत्र।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।

□ संलग्नों का प्रारूप :– कुछ नहीं।
□ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–

foHkkx }kjk iznRr Øekd	ikfIdrk dk uke	o/krk fdl fnukd rd g	ofYn;r	fuokI dk irk
1	fuy	fuy	fuy	fuy

टीपः इस योजना अन्तर्गत विगत 5 वर्षो में किसी भी इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु माह प्रस्तुत नही की गई है।

5. मध्यप्रदेश उद्योग (शेड,प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 (दिनांक 01.07.1999 तक संशोधित)

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(अ) ये नियम मध्य प्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 कहलायेगें।

(ब) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर ये नियम विस्तारित किये जायेगें।
(स) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होगें।

2. परिभाषायें :—
जब तक कि प्रसंग से अन्यथा वांछनीय नहीं हो :—

1. भवन के तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं ग्रामीण कर्मशाला में निर्मित शेड्से एवं गोदामों को सम्मिलित करते हुये शासन के स्वामित्व के किसी भी भवन से होगा।
2. भूमि से तात्पर्य उद्योग विभाग के स्वामित्व/आधिपत्य में औद्योगिक तथा इसके सहायक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध विकसित एवं अविकसित भूमि से हैं। प्लाट का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय द्वाा अनुमोंदित अभिन्यास में दिये गये प्लाटों से है।
3. आवंटन अधिकारी से तात्पर्य।
(अ) विलोपित
(ब) अपने क्षेत्राधिकार में औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान मेंनिर्मित सभी भवनों, ग्रामीण कर्मशालाओं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं कर्मशालाओं में प्रत्येक प्रकरण में 5 एकड़ तक भूमि हेतु मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला उद्याग एवं व्यापार केन्द्र।
(स) विलोपित
(द) 5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकरणों में जिला योजना समिति। (मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक—एफ—15/60/90/11/डी, दिनांक 30—03—1999 से आदेश से भाग (अ) और (स) विलोपित तथा भाग (ब) और (द) को संशोधित किया गया है)।
4. शासन से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है।
5. संचालनालय से तात्पर्य मध्य प्रदेश का उद्योग संचालनालय एवं उसके अधीन कार्यालयों से है।
6. शिक्षित बेरोजगार से तात्पर्य उन आवेदकों से होगा जो समय—समय पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परिभाषा के अर्न्तगत आते हों।
7. जिला योजना समिति से तात्पर्य मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अन्तर्गत गठित जिला योजना समिति से है। (आदेश क्रमांक—15/60/90/11/डी, दिनांक 01—04—1999 से क्रमांक—7 जोड़ा गया)।

3. आवंटन हेतु पात्रता :—

1. संचालनालय में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत कोई भी इकाई अथवा तकनीकी विकास महानिदेशक भारत शासन से पंजीकृत किसी इकाई अथवा भारत शासन से औद्योगिक विकास एवं नियमन एक्ट 1951 के अन्तर्गत आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र प्राप्त आवेदन इकाई या औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करने वाले आवेदक को उद्योग सीापनार्थ अथवा स्थपित इकाई के विस्तार हेतु भूमि अथवा भवन आवंटन हेतु विचार किया जायेगा।
2. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संस्थान/अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में आवंटन पात्रता से किसी उद्योग अथवा उद्योग के वर्गो को संचित करने का अधिकार राज्य शासन सुरक्षित रखता है।
3. अपरम्परागत विद्युत संयंत्रों का यदि उर्जा विकास निगम का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त होता है तो वे संयंत्र भूमि आवंटन की पात्रता रखगे। (आदेश दिनांक 01—01—1999 से जोड़ा गया)।

4. नीलामी हेतु भूमि/भवन का आरक्षण :—

1. राज्य शासन किसी भी स्थान पर कोई भूमि/भवन का आरक्षण पट्टेधारी अधिकारों के अन्तर्गत नीलामी द्वारा कर सकेगा।
2. जिला योजना समिति, औद्योगिक क्षेत्र संस्थानों में निजी क्षेत्र के माध्यम से शेड़ों का काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकेगी। (आदेश दिनांक 01—01—1999 से जोड़ा गया)।

5. आवंटन में प्राथमिकतायें :—

1. राज्य शासन द्वारा घोंषित प्राथमिकता वाले उद्योगों को भूमि/भवन आवंटन हेतु किसी भी भूमि/भवन को आरक्षित रख सकेगा।
2. स्थापित कार्यरत उद्योगों को विस्तार से चाही गई भूमि आसपास उपलब्ध भूमि से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जा सकेगी।
3. राज्य शासन कतिपय विशेष योजना हेतु भूमि/भवन को आवंटन हेतु आरक्षित कर सकेगा।
4. किसी भी उद्योग हेतु स्थापित उद्योग विस्तार हेतु अथवा किसी भी उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन के राज्य शासन के अंतर्हित अधिकार को इन नियमों के अन्तर्गत किसी कारण से सीमित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आरक्षण उन समस्त शर्तो के आधार पर किया जाएगा जो कि शासन द्वारा प्रकरण के गुणों दोषों के आधार पर लगाई गई हो।

5. उद्योगिक क्षेत्र / संस्थान/विकास केन्द्र/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/शेड आवंटन की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

- शत–प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई/निर्यात इकाई अप्रवासी भारतीय की इकाई
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी की इकाई
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहकारी संस्था।
- शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी।
- महिला उद्यमी।

प्राथमिकता अन्तर्गत 50 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता सूची अनुरूप होगा तथा 50 प्रतिशत आवंटन गैर प्राथमिकता सूची के उद्यमियों को होगा।

6. भूमि का परिमाण :—

प्रस्तावित योजना/योजना में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र से निम्नानुसार भूमि आवंटन की ा सकती है :—

1. निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।
2. निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से 2 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।

उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकार द्वारा यदि दो हेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्व अनुमति से तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन कि पूर्व अनुमति से आवंटन किया जा सकेगा।
(यह आदेश दिनांक 01—04—1999 से नियम 6 प्रतिस्थापित किया गया)

7. आवंटन हेतु आवेदन :—

1. भूमि/भवन आवंटन हेतु समस्त आवेदन पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जहां की भूमि/भवन स्थित है को निर्धारत प्रारूप में आवेदन पत्र — 1 (ए) अथवा 1 (बी) जो भी लागू हो प्रस्तुत करना होगा।
2. भूमि आवंटन के आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये वैद्य होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैद्य आवेदन प्राप्ति होने की स्थिति से मानी जावेगी। आवेदन शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (आदेश दिनांक 01—04—1999 से (दो जोड़ा गया)

8. आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया :—

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैद्य आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जायेगा। भूमि/भवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पात्र आवेदक को 15 दिवस में भूमि/भवन आवंटित/अनुशंसित किया जाएगा।
2. जब तत्काल रूप से कोई भूखण्ड/भवन उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें से एक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी की उद्यमियों की होगी। एकान्तर पद्धति के आधार पर भूमि/भवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाई तथा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जायेगा।
3. समस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिए वैद्य होगे तत्पश्चात् आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तदाशय की सूचना आवेदक द्वारा एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में देनी होगी। समयवधि में सूचना न देने की फलस्वरूप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैद्य तिथि के उपरान्त आवेदक को 15 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि वापस करनी होगी अन्यथा वे विलंब हेतु उत्तदायी होगे। (आदेश दिनांक 01—04—99 से नियम 8 प्रतिस्थापित किया गया)

□ (9) निर्णय से सूचित करना :—

आवंटन प्राधिकारी द्वारा भूमि भवन हेतु पात्र आवेदकों को अनुसूची 2 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी किया जाएगा।

□ 10. आवेदन द्वारा सहमति सूचित करना :–

1. आशय पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर आवेदक को चालान के माध्यम से एक वर्ष का भू–भाटक तथा प्रब्याजि जम करनी होगी। अन्यथा उसका आशय पत्र निरस्त मानते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गयी आवेदन शुल्क की राशि राजसात कर ली जावेगी।

2. आवेदक को आशय पत्र प्राप्ति के छः माह अन्दर इकाई वित्त पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अथवा इकाई स्ववित्त पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार स्थाई पूंजी वेष्ठन के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक से सावधि जमा रसीद तैयार कराना होगा। जो महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।

3. विशिष्टि भू–खण्ड/भवन क्रमांक अंकित कर आशय पत्र जारी किया जाएगा। (आदेश दिनांक 01–01–99 से नियम 210 प्रतिस्थापित किया गया)

11. आवंटन आदेश जारी करना तथा आधित्पय प्राप्त करना

1. आवेदक द्वारा आशय पत्र की शर्तो की पूर्ति के उपरान्त 30 दिवस के अंदर मुख्यमहाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवंटन आदेश जारी करेगा ।

2. आवेदक निम्न शर्तो की पूर्ति करे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात कि जाऐगी ।

(अ) 15 दिवस के अन्दर तीन वर्ष के बराबर भू–भाटक प्रत्याभूति के रूप में जमा करें तथा भवन के प्रकरण में एक वर्ष का किराया जमा करें ।

(ब) भूमि अधिपत्य के पूर्व 30 दिबस के अंदर पट्टाभिलेख निष्पादित कर पंजीकृत करायें ।

(स) 'अ' एवं 'ब' कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात 7 दिबस के अन्द भूमि का अधिपत्य प्राप्त करें ।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम – 11 प्रतिस्थापित किया गया)

12. स्थानीय रोजगार

1. उद्योग विशेष अथवा उद्योगो हेतु अर्जित की गई भूमि से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को संबंधित उद्योगो में नियोजित करना अनिवार्य होना ।

2. उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अर्जित की गई भूमि के संबध में एक योजना बनाई गई जिसमें अर्जित भूमि से प्रभात परिवारो की सूची (अधिग्रहित की गई भूमि की मात्रा अनुसार वरिष्टता देकर) तैयार की जा कर कुल प्रभावित परिवारो की संख्या निकाली जाएगी ।

3. शुद्ध आवंटन योग्य भूमि में प्रभावित परिवारोकी संख्या काभाग देकर प्रति हैक्टेर प्रभावित परिवारो की की संख्या निकाली जाएगी ।

4. इस प्रकार निकाली गई प्रति हैक्टेरा प्रभावित परिवारो की संख्या में उद्योग विशेष को आंवटन भूमि के अनुपात मे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को योग्यता अनुरूप एवं उद्योग विशष के पदो को ध्यान में रख कर भूमि आवंटन से एक वर्ष की अवधि में संबंधित उद्योगो द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. इस हेतु उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारो की संख्या एवं प्रभावित परिवारो की सूची संबंधित उद्योग को रोजगार देने हेतु प्रदान की जाएंगी ।

6. उप नियम एक एवं सहपठित उप नियम 6 में वर्णित सूची अनुसार प्रभावित परिवारो के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने हेतु आवंटी बाध्य होगा ।

13. आशय पत्र अथवा आंटन आदेश का निरस्तीकरण निर्धारित समयावधि में आशय पत्र की शर्तो का कियान्वयन नहीं होने पर आशय पत्र निरस्त किया जाएगा। आवंटन आदेश की शर्तो की पूर्ति न होने पर आंवटन आदेश निरस्त किया जाएगा। (आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 13 प्रतिस्थापित किया गया।)

14 कार्यकम का कियान्वयन

1. प्रत्येक आवंटी को भूमि के आधिपत्य , ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना कियान्वित करती होगी , इसके साथ–साथ लद्यु उद्योगो के प्रकरण में एक तथा मध्यम एवं वृहद उद्योगो के प्रकरण मं तीन वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन में जाना होगा। भवन के प्रकरण में भी आवंटी को भवन के आधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना कियान्वित करना होगा इसके साथ–साथ लद्यु उद्योगों के प्रकरण में 6 माह में तथा मध्यम एवं वृहद उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के भीतर उत्पादन में जाना होगा।

2. यह समय सीमा व्यतीत हाने के पश्चात् निम्न पूर्ति होने क बाद ही आंबटन प्राधिकारी 6 माह का समय बढ़ा ही आवंटन प्राधिकारी 6 माह समय बढ़ा सकेगा तथा इसके पश्चात पुनः कर 6 माह का समय बढ़ाने का अधिकार पश्चातवर्ती उच्च प्राधिकारी को होगा। इसके पश्चात समय वृद्धि का कोई अधिकार नही होगा :–

क. समयावधि बढ़ाने हेतु विशिष्ट कारण बताना होगा।

ख. आवंटी का दण्ड स्वरूप 50 प्रतिशत देंय होगा।

15. पट्‌टे की अवधि

सामान्यतः पट्‌टे की अवधि भूमि के लिये 99 वर्ष तथा भवनो के लिये 30 वर्ष होगी । मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन कमांक एफ– 15/60/96/11/डी , दिनांक 13.8.97 से दिनांक से दिनांक 2.7.94 के प्रभाव से नियम 15 जोड़ा गया ।

16 सहायक प्रयोजन हेतु आवंटन

1. औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान आदि में कुल आवंटन योग्य भूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि उद्योगो से अन्यथा प्रयोजन हेतु आंटित नही कि जा सकेगी । साधारणतः एवं उद्योग स्थापना या उद्योग विस्तार प्रयोजन हेतु भवन/भूमि आवंटन किया जावेगा किन्तु जिला योजना समीति उद्योगो के सहायक प्रयोजन हेतु भी भूमि/भवन आवंटित कर सकेगी। इस नियम के प्रयोजन हेतु उद्योगो के सहायक प्रयोजन का आशय विद्युत उपकेन्द्र पैट्रोल पंप ,डाकघर उद्योग संघ का कार्यालय जल पान गृह औषधालय आवासीय भवनो बैंको एस.टी.डी. बूथ तौल काटा रेल्वे ाइडिग ट्रक पार्किंग सामुदायिक भवन सभागृह तथा शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्यप्रयोजनो से इस प्रतिबंध के साथ है कि ऐसे प्रतिष्ठान अपने आसपास के उद्योगो की आवश्यकताओ की पूर्ति करते हो। ऐसे भूमि/भवनो पर किराया व प्रब्याजि वाणिज्य दरों से बसूल होगा । वाणिज्यदर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।आगे प्राविधत है कि इन नियमेा में अंतविष्ट कोई भी प्रावधान औद्योगिक प्रयोजन हेतु तत्कालिक रू॰ से आवश्यक न होने पर निर्धारित शर्तो एवंप्रतिबंधो केअनुसार अन्य किन्ही प्रयोजनो हेतु भूमि/भवन आवंटन के राज्य शासन के अधिकार सेसीमित नही करेगा।

2. यदि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग अथवा प्रदूषण निवाहरण मंडल केद्वारा पर्यावरणकी दृष्टि से किसी औद्योगिक इकाई को वृक्षा रोपण करने के लिये शर्त रखी जाती है।तो उसेउद्योगो के सहायक प्रयोजन मानते हुए वाणिज्य दरो पर भूमि आंटित की जाएगी। उल्लेखनीय हैकि इस प्रयोजन हेतु भूमि का आंवटन तब किया जाएगा जबकी इस हेतु निधिभूमि का अधिग्रहण नकरना हो तथा विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध हो । यदि इकाई द्वारा उक्त भूमि परभवन आदि का निर्माण किया जाता है। तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. औद्योगिक संरचना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिलायोजना समिति उद्यमियो/विकास कर्ता को काम्पलेक्स अथवा भवन निर्माण हेतु विकसित भूखंडबृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रचिलित

प्रवियादी पर आंवटन कर सकेगी । इस हेतु उद्यमि विकासकरता तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग केन्द्र के मध्य एक त्रिपक्षीयअनुबंध निष्पादित होगा।

17. प्रब्याजि एवं भू–भाटक की दर

भवनो का किराया , भूमि हेतु प्रब्याजि एवं भू–भाटक वह होगा जो कि शासन द्वारा समयपर निर्धारित किया गया है

18 किराये का भुगतान

1. पट्टेधारी को सम्बद्ध माह का भवन किराया माह प्रारम्भ होने के 10 दिवस केभीतर अग्रिम स्वरूप देना होगा ।

2. किराये का भुगतान अनियमित अथवा विलंब से होने के फलस्वरूप आंवटी को शेषदेय किराया राशि पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त दाण्डिक व्याज देनाहोगा।

3. किराया एवं दाण्डिक व्याज देने में असफल होने पर आंवटी द्वारा आवंटन नियमका उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने कीकार्यवाही की जाएगी।

18. ए निर्मित ढ़ाचे में परिवर्तन करने हेतु अनुमति : इकाई के विस्तार हेतु उद्यमीद्वारा प्रस्तुत परिवर्तित ढांचे जो वैधानिक रूप से सक्षम अधिकारी से अनुमोदित होतो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक , जि0 व्या0 एवं उ0 के0 विस्तार की अनुमति देसकेगा। आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 18 ए जोड़ा गया।

19 अन्तरण

1. भूमि का आंशिक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. कोई आंवटित भवन अथवा भूमि व उस पर निर्मित भवन राज्य अथवा राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से उन प्रतिबन्धो के अधीन जो कि समय–समय पर राज्य शासन द्वारा आरोपित की जाए के अंतर्गत पुर्वानुमति प्राप्त किए बिना अंतरित अथवा अभिहस्तांकित नहीं करेगा अथवा शिकमी नही देना।

3. हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन होगी।
   - अ. संपूर्ण भूमि तब हस्तांतरित होगी जब मूल आंवटी ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।
   - ब. नये आवंटी को 100 प्रतिशत प्रब्याजि जमा करनी होगी तथा प्रचलित दर पर भू–भाटक देना होगा।
   - स. राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियां नये आवंटी को हस्तांतरित होगी।
   - द. वित्तीय संस्थाओ द्वारा अधिग्रहीत की गयी इकाई किसी अन्य को हस्तांतरण तभी प्रभावशील माना जाए जब वित्तीय संस्थायें अथवा नवीन इकाई राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन कर दे।
   - ई. उक्त प्रकरणों में भूमि/भवन के पट्टाधिकार के हस्तांतरण के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जि0 व्या0एवं उ0 के0 को होगें ।

20. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में अभिहस्तांकनभारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसुचित बैंको के पक्ष में आवंटन प्राधिकारीपट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकन की अनुमति दे सकेगा किन्तु राज्य शासन का भार सर्वोपरि रहेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत घोषित लोकवित्तीय संस्थाएं/राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित निगम के लिए लागू होगी ।

21. पट्टे का पर्यावसान

1. यदि पट्टेधारी/पट्टाधारियों अथवा उसके अंतरिती अथवा अभिहस्तांकिती द्वारापट्टाविलेख की किसी भी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है।तब आंवटनप्राधिकारी द्वारा लिखित मं पट्टाधिकारियों अथवा उसके/उनके अंतरिती अथवाअभिहस्तांकिती को सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा कि यदि वह/वे किए गएउल्लंघन का निराकरण सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदरनही करते तो आंवटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण इस प्रतिबन्ध के साथकिया जा सकेगा कि कंडिका के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन कोपट्टाधारियों या उनके अभिहस्तांकिती या अंतरिती के विरूद्ध प्राधिकार या सुधारलागू करने से अन्यथा न रोका गया हो।

2. यदि आवंटी दाण्डिक राशि के रूप में 100 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि जमा करता हैतो आवंटन प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एक वर्ष का समय बढ़ा सकता है।

22. अभ्यावेदन (अपील)मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15/60/11/डी/90 दिनांक 10.3.92 से शेड आवंटन नियम 1974 धारा 22 को विलोपित कर निम्नानुसार धारायेप्रतिस्थापित की गई है :

1. इन नियमें के अंतर्गत सक्षम आंवटन अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्टपक्षकार ऐसा आदेश पारित होने के बाद 30 दिवसो की अवधि के भीतर —

क. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारितआदेश के विरूद्ध अभ्यावेदलन को किया जा सकेगा।

ख. जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

ग. आवेदन को अभ्यावेदन का मौका केवल एक बार प्राप्त होगा।

2. भूमि/भवन आवंटन नियम , 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन केनवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार राज्य शासन तथा जिला योजना समितिको होगा।

धारा 22 अ — स्वप्रेरणा से निर्णय की समीक्षाइन नियमो में किसी विपरीत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी :राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख कोबुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु वर्तमानपट्टाविलेख को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देनाआवश्यक होगा।(आदेश दिनांक 1.4.99 से जोड़ा गया।)

....

जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, सागर

भूमि शेड विषयक विभिन्न प्रकरणों की चेक लिस्ट

चेक लिस्ट भूमि/शेड आवंटन

1) आवेदन—पत्र निर्धारित आवेदन—पत्र में प्रस्तुत करना है ।

2) आवेदन—पत्र के समस्त कॉलम भरना आवश्यक है ।

3) आवेदन—पत्र के संलग्न निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है:—

   1. प्रस्तावित इकाई का पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन ।

   2. इकाई का प्रस्तावित पंजीयन/स्थाई पंजीयन/आई.ई.एम. की छायाप्रति ।

   3. ले—आऊट प्लान ।

4) मांगी गई भूमि के लिये लागू प्रब्याजि रू. 2.00 प्रति वर्ग फीट की दर की 25 प्रतिशत चालान से जमा कर चालान की मूल प्रति ।

5) भागीदारी इकाई होने के संबंध में भागीदारी डीड ।

6) कम्पनी होने के संबंध में मेमोरण्डम एवं आर्टिकल की प्रति । एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेसूलेसन की प्रति ।

vkonu&i= 1 ¼,½

vk|kfxd {k= e: Hkfe ;k vk|kfxd lLFkku@v)l 'kgjh vk|kfxd lLFkku@xkeh.k de'kkyk e: Hkfe@Hkou dk vkoVu ¼LokfefRod m|kx gr½

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक के पिता का पूरा नाम
3. आवेदक की आयु
4. आवेदक का पूरा पता (साफ अक्षरों में तहसील/जिले के नाम के साथ)
5. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय
6. अ) उद्योग का नाम
   ब) उद्योग के प्रकार का कृपया विस्तृत विवरण दिया जाय । यह भी निर्दिष्ट करेंकि उद्योग किस श्रेणी में आता हैः

1. निर्माण
2. मरम्मत
3. प्रसंस्करण
4. संरक्षण
5. अन्य श्रेणी
7. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवाक्या विद्यमान कार्यरत इकाई है तो समीपस्थ स्थल के बारे में विवरण दें)
8. उद्योग द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद और प्रत्येकउत्पाद की वार्षिक क्षमता दें (कृपया उल्लेखित करें)
9. आवेदक को शामिल करें (इकाई में) सेवा–योजित होनेवाले कुल कर्मचारी
10. निवेशित की जोन वाली पूंजी का विवरण, शेड/भवन, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य,कार्यशील पूंजी आदि के लिए पृथक सेः

(अ)	भूमि	रूपये
(ब)	भवन	रूपये
(स)	संयंत्र की मशीनरी तथा उपकरण	रूपये
(द)	पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
	कुल स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
(इ)	कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु)	रूपये
	कुल योग	रूपये

11. निवेशित की जाने वाली (नवीन इकाई / विस्तारित)

(अ) आवेदक द्वारा रूपये

(ब) अन्य स्त्रोतों के द्वारा रूपये

कुल योग रूपये

12. अ) यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक दें। प्रमाणित प्रतिलिपि और योजना की प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

ब) यदि वृहद एवं मध्यम इकाई है तो तकनीकीविकास महानिदेशक भारत शासन के साथ हुएपंजीयन, भारत शासन से प्राप्त आशयपत्र / अनुज्ञापत्र / भारत शासन के साथ फाइलकिये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई,इ,एम)की प्रमाणित प्रतिलिपि दें ।

13. इकाई की श्रेणी

(अ) 100 प्रतिशत निर्यात आधारित / निर्यातक / अप्रवासी भारतीय इकाई

(ब) वृहद और मध्यम श्रेणी की इकाई

(स) अनुसूचित जाति / जनजाति या उनकी सहकारी के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई

(द) शारीरिक रूप से निःशक्त (विकलांग) उद्यमी

(इ) महिला उद्यमी

(फ) उक्त में से कोई नहीं

14. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि,वा / मे,वा, में)

15. पानी की आवश्यकता (किलो लीटर प्रतिदिन अनुसार कृपया अंकित करें)

16. भूमि की आवश्यकता वर्गफीट / वर्गमीटर (अभिन्यास को कपड़ा–कागज पर दें)

17. प्रस्तावित आच्छादित / शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरण

(अ) कारखाने का शेड वर्गफीट / वर्गमीटर

(ब) गोदाम (भण्डार गृह) वर्गफीट / वर्गमीटर

(स) कार्यालय वर्गफीट / वर्गमीटर

(द) अन्य (निर्दिष्ट करें) वर्गफीट / वर्गमीटर

कुल वर्गफीट / वर्गमीट

?kks"k.kk

1. मैं .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टिकरता / करती हूं कि आवेदन में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त विवरण जहां तक मैंजानता / जानती हूं और मानता / मानती हूं सत्य है ।

2. मैं .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टिकरता / करती हूं कि मैंने म.प्र. उद्योग (शेड / प्लॉट, भूमि आवंटन) नियम 1974 जिसेसमय–समय पर संशोधित किया गया है, का पढ़ा है और उसका पूरा ज्ञान है तथा मैंउक्त नियमों का पूर्ण पालन करूंगा / करूंगी ।

3. मैं .... सभी सम्बद्ध विभागों / प्राधिकारियोंसे सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र / सहमति इकाई प्रारंभ करने से पूर्वविधि / वैधानिक निकायों द्वारा समय–समय पर चाहेनुसार प्राप्त करूंगा / करूंगी ।

4. मैं .... ने रूपये ....(रूपये ....) आवेदन शुल्क स्वरूप जमा किया है ।अवलोकन करें चालान क्रमांक .... दिनांक....................... (प्रतिलिपि संलग्न) बैंक / ट्रेजरी का नाम ....

स्थानः
दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

vkonu i= 1 ¼oh½

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन और औद्योगिक संस्थान/अर्द्ध–शहरी औद्योगिकसंस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में शेड/भूमि का आबंटन (साझेदार फर्म अथवा सहकारी समितिअथवा सार्वजनिक/निजी मर्यादित कंपनी हेतु)

1. आवेदक उद्योग का पूरा नाम (फर्म या कम्पनी का नाम)
2. (अ) आवेदक का पूरा नाम/पता (सम्बद्ध तहसील/जिले के नाम के साथ)
   (ब) आवेदक का फर्म/कंपनी में स्थान (कृप्या विधिवतरूप से पंजीकृत न्यायिक अधिकार पत्र (मुख्तारनामा) या मंडल प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये)
3. यदि आवेदक एक साक्षेदार व्यवसायिक फर्म/मर्यादित कंपनी है तो निम्न जानकारी

	साझेदारों/संचालकों के नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता	प्रत्येक साझेदार/संचालक का वर्तमान व्यवसाय
	1.	2.	3.	4.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

	फर्म के साझेदार/संचालक की आयु	प्रत्येक साझेदार/संचालक का अंश	प्रत्येक साझेदार/संचालक द्वारा निवेशित की जाने वाली पूंजी	यदि साझेदार/संचालक एक दूसरे के संबंधी है तो विवरण दे
	1.	2.	3.	4.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4. उल्लेख करें कि साझेदार व्यावसायिक फर्म का भारतीयसाझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हुआ है यानहीं। यदि हां तो पंजीयन क्रं. आदि. का उल्लेख करेंऔर पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्नकरें।

5. उल्लेख करें कि साझेदारी विलेख का लेख्यकरण हुआहै या नहीं यदि है तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नकरें उल्लेख करें कि साझेदरी विलेख का पंजीयन हुआहै या नहीं यदि है तो पंजीयन क्रं. आदि.

6. अ) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी कापंजीयन क्रं. व दि. दें पंजीयन पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकरें यदि सहकारी समिति है तो पंजीयन प्राधिकारी द्वाराजारी किये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि जमाकरें।

7. आवेदक उद्योग की श्रेणी का कृप्या विस्तृत विवरण देंयह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस श्रेणी में आता है:

(1) निर्माण
(2) मरम्मत
(3) प्रसंस्करण
(4) संरक्षण
(5) अन्य श्रेणी

8. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवाक्या) विद्यमान/कार्यरत इकाई है तो समीपस्थ स्थलके बारे में विवरण दें।

9. उद्योग द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद और प्रत्येकउत्पाद की वार्षिक क्षमता कृप्या उल्लेखित करें।

10. उद्योग में सेवायोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या

11. उद्योग में निवेशित की जाने वाली पूंजी का विवरण – शेड, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य कार्यशील पूंजी आदि के लिए पृथक से :

(अ) भूमि रूपये
(ब) भवन रूपये
(स) संयंत्र की मशीनरी/उपकरण रूपये
(द) पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थाई
परिसम्पत्तियां रूपये
कुल स्थाई परिसम्पत्तियां रूपये
(इ) कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु) रूपये
कुल योग रूपये

12. निवेशित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई)

अ) आवेदक द्वारा रूपये
ब) अन्य स्त्रोतों द्वारा रूपये
स) कुल योग रूपये

13. यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग में पंजीयन का क्र. वदि. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दें यदि मध्यम या वृहद स्तर की इकाई है तो तकनीकी विकास महानिदेशक, भारत शासन के साथ हुए पंजीयन क्रं. वदि./भारत शासन का आश्य पत्र/अनुज्ञापत्र/भारत शासन के साथ फाईल किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) की प्रमाणित प्रतिलिपि दें ।

14. इकाई की श्रेणीः

(अ) 100 प्रतिशत निर्यात आधारित/निर्यातक/अप्रवासी भारतीय इकाई
(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति उनकी सहकारी समिति के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई
(स) वृहद और मध्यम इकाई
(द) शारीरिक रूप से निःशक्त (विकलांग) उद्यमी

(इ) महिला उद्यमी
(फ) उक्त में से कोई नहीं
15. अनुमोदित योजना / परियोजना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दें।

16. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि.वा./मे.वा.मे)

17. पानी कीआवश्यकता (किलोमीटर प्रतिदिन अनुसार कृप्या अंकित करें)

18. भूमि की आवश्यकता .... वर्गमीटर/वर्गफीट (अभिन्यास को कपड़ा कागज पर दें)

19. प्रस्तावित आच्छादित/शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरणः

अ)	कारखाने का शेड	वर्गफीट/वर्गमीटर
ब)	गोदाम	वर्गफीट/वर्गमीटर
स)	कार्यालय	वर्गफीट/वर्गमीटर
द)	अन्य (निर्दिष्ट करे)	वर्गफीट/वर्गमीटर
	कुल	वर्गफीट/वर्गमीटर

?kk"k.kk

1. मैं/हम .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं/करते है कि आवेदन में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त विवरण जहां तक मैं/हम जानता हूं/जानती हूं/जानते है/मानता हूं/मानती हूं/मानते है सत्य है ।
2. मैं/हम .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा में पुष्टि करता हूं/करती हूं/करते है कि मैंने/हमने म.प्र. उद्योग (शेड/प्लाट भूमि आवंटन) नियम 1974 जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, को पढ़ा है और उसका पूरा ज्ञान ळे तथा मैं/हम उक्त नियमों का पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे ।
3. मैं/हम .... सभी सम्बद्ध विभागों/प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति इकाई प्रारंभ करने से पूर्व विधि/वैधानिक निकायो द्वारा समय–समय पर चाहेनुसार प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे ।
4. मैं/हम .... ने रूपये .... (रूपये ....) आवेदन शुल्क स्वरूप जमा किया है। अवलोकन करें चालान क्रमांक .... दिनांक .... (प्रतिलिपि संलग्न) बैंक/ट्रेजरी का नाम ....

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

v/;k; &17¼euvy 16½
lpuk ikIr djus ds fy; ukxfjdks dks miyC/k lqfo/kkvks dk fooj.k

17.1 सूचनाओ को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग ।

1. पुस्तकालय द्वारा – कार्यालय में लाईब्रेरी की व्यवस्था है। जिसमें विभाग से संबंधित बुके प्रोजेक्ट फाईले पंपलेट आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

2 . अखवारो के द्वारा– समय–समय पर अखवारो में विभाग से संबंधित गतिविधिया एवं योजना की जानकारी दी जाती है।

3.. प्रदर्शिनी के माध्यम से– गणतंत्र दिवस एवं अन्य विशेष अवसरो पर झाकी/प्रदर्शिनी के माध्यम से विभाग की योजनाओ की जानकारी दी जाती है।

4. सूचना पटल – कार्यालय में सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करके आम जनता तक पहुचाने की व्यवस्था की गई है।

5. अभिलेखो का निरिक्षण – कार्यालय में अभिलेखो की निरक्षण करने की व्यवस्था है।

6. उपलब्ध विभागीय मेनुअल – कार्यालय में विभाग से संबंधित मेनुअल है। जिसे पड़ने एवं जानकारी नोट करने की व्यवस्था है।

7. शिविर आयोजित करके – समय–समय पर जन जागृति शिविर जन समस्या निवारण शिविर में विभाग का प्रचार प्रसार करते हुए योजनाओ की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

v/;k; 18 ¼euuvy 17½
vU; mi;kxh tkudkjh;k

18-1 vU; mi;kxh tkudkfj;k %&

1. प्रधान मंत्री सृजन रोजगार योजना में ऋण किस प्रकार से मिलता है ?
   उत्तर – आठवी कक्षा उत्तीर्ण उम्र 18 वर्ष से कम नही योंजनान्तर्गत 15 से 35प्रतिशत तक अनुदान की पात्रता होगी ।
2. रानी दुर्गावती योजना क्या है ?
   उत्तर – यह केवल अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के हितग्राहियो को जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष शैक्षणिक योग्यता आठवी पास हो के लिये किसी भी वित्तीय संस्था से स्वीकृत परियोजना में लगने वाली 33 प्रतिशत तक मार्जिन मनी देय होती है ।
   3. दीनदयाल रोजगार योजेन्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यापार की स्थापना ऋण उपलब्ध कराना (सभी जाति वर्ग हेतु) न्यनूतम योग्यता 10वी उत्तीर्ण । आयु 18 से 40वर्ष तक । वार्षिक आय 2.00.लाख रूप्ये से कम हो । अनुदान 5 से 10प्रतिशत तक
   अधिकतम 40000.00 स्नातक को अधिकतम 50000.00, संलग्न दस्तावेज 10वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, मूल निवास-पमाण पत्र
   जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित योजना एवं
   पासपोर्ट साईज की दो फोटो ।
3. नवीन उद्योगो के लिये क्या सुविधाये है ?
   उत्तर – 1–4–2004 के पश्चात उत्पादन में आई इकाईयों को राज्य लागत पूंजी अनुदान ब्याज अनुदान परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान की पात्रता है , प्रति बंटित सूची के अपात्र उद्योगो को यह सुविधा देयन नही है ।
4. कार्यालय के प्रशिक्षण की क्या सुविधा है ।
   उत्तर – बैंक द्वारा किसी भी स्वरोजगार योजना के स्वीकृत प्रकरण के हितग्राहियो को उद्यमित विकास प्रशिक्षण के हितग्राहियो को उद्यमित विकास प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी अवधि 10 से 20 दिन तक रहती है ।

18-2 lpuk ikIr dju d lc/k e

1. सामान्य आवेदन पत्र ग्राह है जिसमे जिस दिवस वस्तु की जानकारी आवेदक चाहता है स्पष्ट रू‍ से अंकित होनी चाहिए ।
2. शुल्क – आवेदन पत्र 10/–नगद या दस रूपये का नान जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर

गरीबी रेखा के नीचे जीवन ज्ञापन करने वाले हितग्राही को शुल्क से छूट होगी ।

3. कार्यालय मे चलने वाली विभिन्न योजना । सुविधा की जानकारी हितग्राही ले सकता है , जैसे प्र.म. रो. योजना एवं अन्य योजना में पात्रता संबंधी शर्वे विभागीय सुविधाओ की जानकारी संभावित उद्योगो की जानकारी ।

4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर अपिलेट प्राधिकारी (महाप्रबंधक) अपील/शिकायत कर सकता है जिसके लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है ।

18-3 i`f'k{k.k lc/kh

1. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण , कोई समय सीमा नही है।
2. कोई समय सीमा नही है ।
3. विभिन्न स्वरोजगार योजना मे बैंको द्वारा चयनिय एवं स्वी0 प्रकरणो की हितग्राहियो को ऋण वितरण की पूर्व उद्योग/सेवा/व्य0 संबंधी आवश्यक जानकारी देना ।
4. PMEGP -

   DDRY - वित्तीय लक्ष्य अनुसार
   विगत वर्षो में 37 हितग्राहियों को दिया गया

   RDSY . वित्तीय लक्ष्य
5.

योजना	शैक्ष–योग्यता	आयुसीमा	आय वार्षिक सीमा
PMEGP	5.00लाख से अधिक सेवा हेतु 5वी पास, 10लाख से अधिक उद्योग क्षेत्र हेतु 8वी पास ।	18 वर्ष से कम	आय का बंधन नहीं ।
DDRY	10 वी पास	18–40	2.00 लाख तक
RDSY	8 वी पास	18–50	3.00लाख से कम हो ।

6. बैक के द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात प्रशिक्षण पात्रता आती है ।
7. सेवा/व्यवसाय के हितग्राही को 150 रू तथा उद्योग श्रेणी की प्रशिक्षार्थी को रू.300/– छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ।
8. शासन से अनुदान/आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में राशिजमा की जाति है ।
9. कार्या0 में प्रबंधक सूचना प्रभारी संबंधित तह0 के प्रभारी सहा0 प्रबंधक से संपर्ककिया जा सकता है ।
10. काई शुल्क नही।
11. प्रशिक्षण के लिए पृथक से कोई आवेदन पत्र आवश्यक नही है ।
12. निरंक
13. निरंक
14. विभिन्न स्वरोजगार योजना में नियमानुसार आवेदन किया जाता है ।
15. बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरणो की हितग्राही को पुनः चयन प्रक्रिया से नही गुजरनापड़ता है
16. सेवा/व्यवसाय के लिये 10 दिवस एवं उद्योग के लिये 20 दिवस का प्रशिक्षणदिया जाता है ।
17. स्थानीय समाचार पत्रो के माध्यम से तथा पोस्टकार्ड के माध्यम से एवं बैंक केमाध्यम से आवेदको को सूचना दी जाती है ।
18. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ की जानकारी जागरूकता शिविर फिर प्रेरणाशिविर/सेमीनार एवं जिला पंचायत की बैठको से आम जनता को दी जाती है।

19. जिला स्तरपर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है ।वर्ष 2005–06 में दियेगये प्रशिक्षण की सूचि संलग्न है।

18-4 bdkbl dk LFkkbl iath;u iLrkfor iath;u

1. प्रस्तावित पंजीयन :– उद्योग स्थापना के पूर्व प्रस्तावित पंजीयन किया जाताहै।
2. उत्पादन दिनांक से इकाई का स्थाई पंजीयन किया जाता है।
3. प्रबंधक सूचना / सहा.प्रबंधक से संपर्क करें ।
4. आवेदन शुल्क निरंक ।
5. आवेदन पत्र का मूल्य रू 10 है ।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप :– निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आवश्यक है।
7. निरंक
8. नरंक
9. आवेदन करने की प्रक्रिया :– निर्धारित आवेदन पत्र स्थाई / प्रस्तावित पंजीयनका आवेदन किया जाता है।
10. प्रस्तावित पंजीयन की समय सीमा एक दिवस तथा स्थाई पंजीयन निरीक्षण केपश्चात समस्त दस्तावेज सही पाये जाने पर किया जाता है।
11. प्रस्तावित पंजीयन हेतु एक दिवस स्थाई पंजीयन हेतु 7 दिवस में किया जाता है।
12. प्रस्तावित पंजीयन अधिकतम 5 वर्ष अथवा उत्पादन दिनांक से स्वंय मेव निरस्त।
    स्थाई पंजीयन प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण ।
13. साधारण आवदेन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। केवल स्थाई पंजीयन हेतु लागू है।

fo'k"k iath;u &

1. विशेष पंजीयन अनु0जाति / जनजाति वर्ग के हितग्राहियो कि आर्थिक उन्नति के लिये शासकीय खरीदी में प्राथमिकता संबंधित कार्यालय में 30 प्रतिशत खरीदे जाने का प्रावधान है।
2. आवेदक के अनु.जाति / जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। किसी भी उद्योग / सेवा / व्यवसाय गतिविधि का विशेष पंजीयन करवा सकता है।
3. उपरोक्तानुसार।
4. प्रबंधक सूचना / सहा0प्रबंधक से संपर्क कर सकते है।
5. निरंक
6. निरंक
7. निर्धारित आवेदन पर संलग्न
8. (1) स्थाई जाति प्रमाण पत्र (2) निवास प्रमाण पत्र
   (3) वस्तुओ की सूची (4) औद्योगिक इकाई होने पर पंजीयन।
9. संलग्न है।
10. निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेज लगाने के पश्चात पंजीयन किया जाता है।
11. समाप्त दस्तावेजो की जांच की जाति है। तथा सही पाये जाने पर कक्ष प्रभारी के माध्यम से जी.एम. पंजीयन जारी किया जाता है।
12. कोई समय सीमा निर्धारित नही है।
13. नवीनीकरण आवश्यक नही है।

18.5

1. लीजरेन्ट लिया जाता है।
2. औद्योगिक इकाईयो को तथा शिक्षित बेरोजगारो को विभागीय औ0 संस्थान / शेड / दुकान / लीज पर आवंटित किये जाते है। वार्षिक किराया प्रतिमाह

वसूल किया जाता है।

3. भूमि हेतु जमा किए गये प्रीमियम का 1 प्रतिशत वार्षिक दुाकन एवं शेड का पृथक–पृथक मासिक किराया शासन के निर्देशानुसार नियत किया जाता है।
4. कोई बड़े चूककर्ता नही है।

18-7 bI dk;ky; I: Icf/kr ugh gA

18-8 ykd ikf/kdj.k }kjk uxfjdk dk nh tku okyh vU; lokvk dk foojk.k A

y?k m|kx gr ^,LdkV lfol*

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों के उद्योग स्थापना हेतु सुविधाकारी, उत्तरदायी एवं मित्रवत कार्यप्रणाली एवं कार्य संस्कृति विकसित करने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते रहें है। इस दिशा में प्रथमतः 7 जुलाई 1990 में सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें अधिकारों का विकेन्द्रीदकरण एवं विभिन्न विभागों से उद्यमियों के प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समय सीमा में करने की व्यवस्था लागू की गई एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा जिलाध्यक्ष के द्वारा करने की व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से 25 जुलाई 1994 को उद्योग संचालनालय स्तर पर सुदृढ़ एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई जिसका मूल उद्धेश्य उद्यमियों के उद्यमियों से संपर्क करने की संस्कृति के स्थान पर अधिकारियों द्वारा उद्योग मित्र के रूप में उद्यमियों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया विकसित करना था। इसके अंतर्गत इकाइयों के विभिन्न प्रकरणों हेतु प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था लागू की गई एवं इन नोडल अधिकारियों को उद्योग मित्र के रूप में कार्य करने की उपेक्षा की गई। वृह्द एवं मध्यम उद्योगों हेतु परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत एकल स्थल निरीक्षण एवं इकाईवार हेल्थकार्ड तैयार करने की व्यवस्था की गई। उद्यमियों के प्रति शासन को पूर्णतः जवाबदेह बनाने एवं उद्योग स्थापना के प्रारंभिक चरण से उद्योग स्थापना तक विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों के साथ सक्रिय सहयोजन सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिसम्बर 1999 में ''एस्कार्ट सर्विस'' योजना लागू की गई। इस योजना में विभागीय अधिकारियों के दायित्व तय किये गये एवं उनकी मॉनीटरिंग की सुनिश्चित व्यवस्था भी की गई। विभाग द्वारा 2:12:99 24:12:99 तदुपरांत जनवरी, मार्च एवं अगस्त 2000 में इस संबंध में व्यापक निर्देश जारी कर ''एस्कार्ट सर्विस'' प्रणाली को सुस्थापित किया गया। एस्कार्ट सर्विस की विष्लेष्णात्मक जानकारी निम्नानुसार हैं ।

,LdkV lfol D;k g \

एस्कार्ट सर्विस से आशय 5:00 लाख से अधिक यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश वाले प्रस्तावित उद्योगों को उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित पंजीयन कराते ही नोडल अधिकारी के माध्यम से उद्योग स्थापना तक इकाई के सहयोगी के रूप मं` विभागीय अधिकारी उपलब्ध कराना है, जो उद्योग स्थापना के प्रत्येक चरण में हितग्राही के साथ मिलकर कार्य करें।

,LdkV lfol d vrxr fdl idkj dh lok, inku dh tkrh g\

एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत 5:00 लाख से अधिक पूंजी निवेश की इकाई के प्रस्तावित पंजीयन के उपरांत नोडल अधिकारी के रूप में विभागीय अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये नोडल अधिकारी उद्यमी के साथ सतत् संपर्क में रहकर उद्योग स्थापना के प्रत्येक चरण जैसे ऋण आवेदन तैयार करने, भूमि आवंटन प्राप्त करने, प्रदूषण विषयक अनुमति प्राप्त

करना, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से कनेक्शन प्राप्त करने, मशीनरी सप्लाई आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, एवं विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्पन्न करते हैं।

,LdkV lfoZl ds vrxZr fdl dk;kZy; ,oa 0;fDr ea lEidZ djuk pkfg,\

उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिये सीधे, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों एवं प्रबंधक /सूचना/ जो सामान्यतः एस्कार्ट सर्विस हेतु प्रभारी अधिकारी भी होते हैं, से संपर्क करना चाहिए।

,LdkV lfoZl ds vrxZr fu;qDr uksMy vf/kdkjh ds D;k drZO; g\ uksMy vf/kdkjh m|eh dh fdl h izdkj lgk;rk djrs g\

इस सेवा के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी के मूल कर्तव्य हैं, इकाई को पात्रता की जानकारी देना, विभिन्न आवेदन पत्रों को तैयार करने में सहायता देना, आवेदन पत्रों के साथ लगने वाले सहपत्रों की जानकारी देना, सिंगल एजेंसी के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दिलाना एक अन्य विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना नोडल अधिकारी मुख्य रूप से इकाई की यह सहायता करते है कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधा, सहायता, मार्गदर्शन यथा समय आसानी से प्राप्त हो जावें।

m|ksx LFkkiuk dh izfØ;k ea bl ;kstuk ls D;k enn feyrh g\

पूर्व में उद्यमी को अकेले ही उपरोक्त वर्णित कार्य करना होता था। जानकारियां एवं नियमों का ज्ञान न होने के कारण उसे असुविधा का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में नोडल अधिकारी के माध्यम से उद्यमियों को सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं एवं वे समय बचाकर उसें शीघ्र उद्योग स्थापना कर सकते हैं। उद्योग स्थापना में समय की बचत से परियोजना लागत भी नहीं बढ़ती। नवीन उद्यमियों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों के दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

,LdkV lfoZl dk ykHk ysus ds fy;s D;k vyx ls vkosnu nsuk iMrk g\

इस सुविधा का लाभ लेने के लिये अलग से कोई आवेदन नहीं देना होता हैं। मात्र प्रस्तावित पंजीयन कराते ही उद्यमी इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ स्वमेव प्राप्त करते हैं। उद्योग लगाने के लिये विभिन्न चरणों में यह सुविधा किस प्रकार लाभकारी हैं? उद्योग लगाने के लिये विभिन्न चरणों में आवेदन तैयार कराने एवं विभिन्न अनुमतियां, सुविधाएं, आवंटन आदि प्राप्त करने में उद्यमी को ये सुविधाएं अत्यन्त लाभकारी हैं।

D;k bl ;kstuk dk ykHk 'kgjh ,oa xzkeh.k ykx ys ldrs g\

शहरी एवं ग्रामीण किसी भी क्षेत्र के लोग जो 5:00 लाख से अधिक यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश वाले उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, इस सुविधा के हकदार हैं ।

D;k ,sls m|ksx tks igys ls py jgs g mudks fy;s Hkh ;g lqfo/kk ykxw g\

पहले से चल रहे उद्योगों को सुदृढ़ एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उद्योग मित्र के रूप में नोडल अधिकारी की सुविधा प्राप्त है। अतः उन्हें अलग से इस सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती।

D;k ;g ;kstuk iR;sd ftyk 0;kikj ,oa m|ksx dsUnz ea leku :i ls ykxw gA

जी हां – यह योजना यह प्रदेश के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में समान रूप से लागू है।

D;k ;kstuk ds vrxZr fd;s x, dk;Z dk ys[kk&tks[kk j[kk tkrk g\

योजनांतर्गत संपादित कार्यो का उद्योगवार एवं नोडल अधिकारीवार पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इस हेतु स्पष्ट विभागीय निर्देश हैं जिसके अनुरूप सभी जानकारियां संधारित की जाती हैं। क्या इस योजना की मॉनीटरिंग की भी कोई व्यवस्था हैं?

;kstuk dh ekuhVfjax dh lqfuf'pr 0;oLFkk gA

प्रत्येक माह के अंत में उद्योग संचालनालय को इस योजनांतर्गत की गई कार्यवाहियों की प्रगति से अवगत कराना अनिवार्य है। इसकी समीक्षा उद्योग आयुक्त द्वारा की जाती है। वर्तमान में अपर प्रभार देकर सर्विस के अंतर्गत विशेष मॉनीटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई गई है।

fu;Dr ukMy vf/kdkjh d lg;kx u dju ij fdl I f'kdk;r dh tk ldrh g\

नोडल अधिकारी के सहयोग न करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता क्योंकि यह कोई स्वैच्छिक योजना नहीं है। उद्यमियों को योजनांतर्गत सहयोग हेतु अधिकारी विधिवत नियुक्त किये जाते है एवं उसे अपने कर्तव्य पालन करना अनिवार्य है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो सप्रमाण तत्काल महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से संपर्क कर शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए।

D;k bl ;ktuk dk ykHk yu d fy, dkb 'kYd tek djuk iMrk g\

योजना पूर्णतः निःशुल्क हैं। विभिन्न विभागों के नियमों के अंतर्गत उनकी सुविधाओं, स्वीकृतियों पंजीयन, आवंटन आदि हेतु यदि शुल्क निर्धारित है तो वह उद्यमी को देय होगी । 5:00 लाख से कम पूंजी निवेश वाले उद्योगों के लिये भी क्या यह सुविधा प्राप्त है? 5:00 लाख से कम यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश के उद्योगों हेतु सुदृढ़ एकल खिड़की, सिंगल एजेंसी एवं सिटीजन चार्टर के अंतर्गत नोडल अधिकारी एवं प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की सुविधाएं प्राप्त हैं।

D;k bl lfo/kk dk ink; dju d fy; rglhy vFkok fodkl[k.M Lrj ij Hkh vf/kdkjh j[k tkr g\

तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ विभागीय अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों की इकाइयों हेतु नोडल अधिकारी बनाया जा सकता हैं। सुविधा प्राप्त करने हेतु मुख्यतः महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को संपर्क करना उपयुक्त होगा ताकि वे संबंधित इकाई के क्षेत्र के अधिकारी को उसका नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकें।

D;k ,LdkV lfol d vrxr i= 0;ogkj l Hkh dk;okgh dh tk ldrh g vFkok ukMy vf/kdkjh l iR;{k likdZ djuk vko';d g\

उद्यमी अपने नोडल अधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क के अतिरिक्त पत्र व्यवहार, दूरभाष, ई–मेल, जो भी साधन उन दोनों के मध्य सुलभ हो, के माध्यम से संपर्क कर सकता है। स्थानांतरण इत्यादि होने पर क्या नोडल अधिकारी बदल जाते हैं? नोडल अधिकारी बदले जाने पर उद्यमी को किस प्रकार सूचना दी जाती है? संबंधित नोडल अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में उसे आवंटित इकाइयों का प्रभार एवं पंजी आदि उससे वापस लेकर उसके स्थान पर अन्य अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती है तथा संबंधित इकाई को भी सूचित किया जाता है। सामान्यतः उद्यमियों के कार्यालय में संपर्क करने पर भी उन्हें तत्काल ऐसी सूचना दी जाती है।

,LdkV lfol d D;k ykHk n[ku e vk, g\

एस्कार्ट सर्विस का सबसे प्रमुख लाभ विभागीय अधिकारियों के दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है कि वे उद्यमियों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते हैं। उद्यमियों की दृष्टि से प्रथम लाभ यह हुआ है कि उन्हें कार्यालय से संपर्क करने में कोई झिझक नहीं होती। उनके लिये एक अधिकारी सुनिश्चत होता है जो उनके प्रत्येक कार्य में मदद हेतु सहयोगी है एवं जिससे वे जब चाहें संपर्क कर सकते है। नोडल अधिकारी नियुक्त होने से कार्यालयीन प्रकरण निराकरण प्रक्रिया में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ एवं प्रकरण सामान्य लिपिकीय प्रणाली के अनुसार परिचालित न होकर नोडल अधिकारियों द्वारा अनुसरण कर परिचालित किये जाते हैं। इसके अलावा प्रकरण प्राप्त होने पर निरीक्षण कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव आया हैं एवं अब नोडल अधिकारी निरीक्षण सहित प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान सिंगल एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सेवाओं से उद्यमी और अधिक लाभान्वित होंगे। इस सेवा का एक लाभ यह भी हुआ है कि उद्योग लगाने के वास्तविक इच्छुक उद्यमी एवं मात्र पंजीयन हेतु पंजीयन कराने वाले उद्यमी आसानी से नोडल अधिकारियों द्वारा चिन्हित किये जा सकते हैं। वास्तविक उद्योग स्थापना हेतु प्रसासरत उद्यमियों को अधिक समय एवं सहयोग दिया जा सकता हैं।

D;k bl lok d vrxr m|kx p;u d ckj e Hkh tkudkjh ikIr dh tk ldrh g\

उद्योग चयन के बारे में जानकारी हेतु प्रबंधक सूचना से जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं योजना चयन के उपरांत प्रस्तावित पंजीयन करते ही एस्कार्ट सर्विस की सुविधा प्राप्त हो जाती हैं।

D;k ukMy vf/kdkjh enn ekxu ij gh enn djr g vFkok m|kx dh vko';drk dk le>dj Hkh l|>ko nr g\

योजना का मूल उद्धेश्य नोडल अधिकारी को उद्योग मित्र के रूप में कार्य करने हेतु दायित्व दिया जाना हैं। अतः यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उद्यमी से मित्रवत संपर्क में रहकर उसकी आवश्यकता को समझते हुए सूझाव दें, नियमों के

प्रक्रियाओं की जानकारी दें, उनके विधिवत आवेदन पत्र इत्यादि तैयार कराए तथा उद्योग स्थापनार्थ हर संभव मदद करें। यहॉ तक कि यदि किसी कार्यालयीन कक्ष में अथवा अन्य विभाग के कर्यालय में हितग्राही का कोई प्रकरण निराकृत नहीं हो रहा है तो वहां प्रत्यक्ष संपर्क कर प्रकरण निराकरण कराना नोडल अधिकारियों का दायित्व हैं। योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिये यह भी आवश्यक है कि उद्यमी, योजना को पूरी तरह समझें एवं अपने नोडल अधिकारी से मित्रवत व्यवहार करते हुए उसकी योग्यता एवं दक्षता का अधिक से अधिक लाभ अपने उद्योग स्थापना हेतु प्राप्त करें।

समस्त विभागों / कार्यालयों के सामान्य विषयसेवा निवृत्ति / मृत्यु दर

1.	अंशदान नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख
2.	उपादान एवं पेंशन	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख
3.	परिवार कल्याण निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
4.	सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
5.	परिवार अनुग्रह राशि (एक्सग्रसिवी)	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
6.	अन्य भुगतान			
		कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख

सूचना के अधिकार के अंतर्गत समय सीमा

vk|kfxd fodkl grq ;ktuk,
okf.kT; ,o m|kx foHkkx e-i- 'kklu }kjk in'k d vk|kfxd fodkl grq
dk;ky;] ftyk O;kikj ,o m|kx dUn d ek/;e l fuEu ;ktuk, lpkfyr dh tkrh gSA

1) प्रस्तावित पंजीयन :–

उद्यमी / आवेदक द्वारा उद्योग का चयन करने के पश्चात् प्रथमतः उद्योग की योजना को पंजीकृत किया जाता है, ताकि इकाई उत्पादन पूर्व की स्थिति में आवश्यक सुविधाएँ अनुमति आदि प्राप्त करने में समर्थ हो सके। प्रस्तावित पंजीयन का आवेदन–पत्र 10 रूपये शुल्क पर कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है।

2) वित्तीय संस्थाओं का टर्म लोन एवं कार्यशील पूँजी की अनुशंसा प्रस्तावित इकाई के स्थापना हेतु आवश्यक भवन मशीनरी एवं कार्यशील पूँजी के ऋण हेतु विभाग द्वारा वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तावित इकाई के ऋण प्रकरण "7" दिवस की समय–सीमा में अनुशंसित किये जाते है। NSIC के माध्यम से मशीनरी प्रदाय हेतु आवेदन पत्र एक दिवस में अनुसंशित किए जाते है। SIDBI की विविध योजनाओं की जानकारी व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3) भूमि शेड आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह अंतर्गत क्षेत्र में उद्योगों हेतु विकसित अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । जिले में एक औद्योगिक संस्थान, एक अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं गांधी आश्रम औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं ।

क्र.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर / पार्टनर	उददेश्य	आवंटित भूमि (वर्ग फुट)
1	गणेश कोल्ड स्टोरेज	प्रो. श्री घासीराम गणेश प्रसाद गुप्ता	शीत ग्रह	22062
2	अजंता प्रिंटर्स	पा.श्री अजीत कुमार जैन	मल्टीकलर प्रिंटिंग	4096,5404,7400 कुल 17800
3	जैनसन्स इंटरप्राईजेस	प्रो.श्री स्वतंत्र कुमार जैन	कार्डवोर्ड बाक्सेस निर्माण	7470,16368,6162 कुल 30000
4	अग्रवाल दाल मिल	प्रो. श्री राकेश कुमार अग्रवाल	दाल निर्माण	7225,1700,3675 कुल 12600
5,	शुभम दाल मिल	प्रो. आशीष कुमार जैन	दाल निर्माण	9940
6	अनिल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	प्रो. श्री पुरषोत्तम अरोरा	प्लास्टिक थैली निर्माण	2500,2600 कुल 5100
7	जोगिन्दर एग्रीकल्चलर	प्रो. श्री जोगिन्द सिंह	कृषि उपकरण	10010
8	बलराम इंडस्टीज	प्रो. श्री देवकी प्रसाद ताम्रकार	इनगट्स	2400
9	शिव शंकर आयिल मिल	प्रो. श्री बाल चंद सचदेव	आयिल निर्माण	8970
10	महावीर आयिल मिल	प्रो. श्री खुशाल चंद जैन	आयिल निर्माण	8450

11	ताज गैरिज	प्रो. श्री गुड्डू मिस्त्री	वाहन रिपेयरिंग	8000
12	पंजाब कृषि उद्योग	प्रो. श्री प्रतिपाल सिंह	कृषि उपकरण	6360
13	अग्रवाल ऐजे.	प्रो. के एल अग्रवाल	स्टील फर्नीचर	5040
14	श्रीराम ड्रिलर्स	पा. श्री भोला शर्मा	ट्यूब बैल बोरिंग	11900
15	वर्धमान दाल मिल	पा. श्री अनूप कुमार जैन	दाल निर्माण	8450
16	रूचि प्रोसेसिंग	प्रो. श्री आनन्द जैन	अमोनिया ब्लू प्रिंट	425
17	लकी स्टील फर्नीचर	प्रो. श्रीमति सीमा खत्री	स्टील फर्नीचर	625,250,780(1655वर्गफुट)
18	प्रशांत पोली प्रोडक्ट	प्रो. श्रीमति सकुन्तला अरोरा	पोलिथिन , बैग सीट	1170
19	जैन दाल मिल	प्रो. श्री अमित कुमार जैन	दाल निर्माण	1180, 2400 कुल3580
20	पुजारी दाल मिल	प्रो. श्री राजकुमार जैन	दाल निर्माण	5250
21	अमन इंडस्ट्रीज	प्रो. श्री सतीश विश्वकर्मा	स्टील फर्नीचर	2400
22	पूरन इंस्ड.	प्रो. श्री अभय कुमार जैन	कैटिल फीड निर्माण	2400
23	अग्रवाल पल्सेस इन्ड.	प्रो. श्रीमति शिखा अग्रवाल	बेसन निर्माण	14300
24	विकास पल्सेस	प्रो. श्री गुलाब चंद जैन	दाल निर्माण	20000
25	मंगलम रेस्टोरेन्ट	प्रो. श्रीमति नीता जैन	रेस्टोरेन्ट	2000

'kM

क.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर/पार्टनर	उददेश्य	आवंटित शेड
1	कुन्दन मेटल इंड.	श्री कुन्दन लाल जैन	पीतल वर्तन	3 ब्लाक (शेड क. 1)
2	प्रशांत प्लास्टिक	श्री जगदीश अरोरा	प्लास्टिक थैली निर्माण	2/1 ,2/2(शेड क.2)
3	दमोह पेपर स्टेशनरी	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	स्टेशनरी	2/3 (शेड क.2)
4	पंजाब कृषि उद्योग	श्री प्रतिपाल सिंह	कृषि उपकरण	3/1,3/2 (शेड क.3)
5	अग्रवाल दाल मिल	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	दाल निर्माण	3/3 (शेड क.3)
6	अजंता प्रिंटर्स	श्री अजीत कुमार जैन	मल्टीकलर प्रिंटिंग	3ब्लाक (शेड क.4) एवं 5/2 (शेड क. 5)
7	शारदा प्रिटिंग प्रेस	श्री नारायण सिंह ठाकुर	प्रिटिंग प्रेस	5/1 (शेड क. 5)
8	मीना इंजीनियरिग	श्री स्वतंत्र कुमार जैन	इंजीनियरिंग	5/3 (शेड क. 5)

xk/kh vkJe vk|kfxd lLFkku nekg

क.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर/पार्टनर	उद्देश्य	आवंटित भूमि	
				प्लाट क.	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
1	ग्राधी आश्रम	प्रबंधक गांधी आश्रम	तेल घानी	—	27600
2	अन्नपूर्णा पल्सेस	प्रां. श्री राजकुमार वीरेन्द्र कुमार जैन	दाल निर्माण	5,6	6000
3	मनोज दाल मिल	प्रो. श्री मनोज कुमार जैन	दाल निर्माण	3,4	6000
4	जैन प्लास्टिक इंस्ट्रीज	प्रो. श्री रमेश चंद्र जैन	पी. ब्ही. सी. सूज	16,17	3800
5	मनीश कंडी कोल	प्रो. श्री भजन लाल होड़ा	कोल कंडी	2	3000
6	शरद चाक एवं फेबरी केशन	प्रो. श्री शरद कुमार जैन	चाक एवं फेबरी .	15	1650

7	विजय कुमार जैन	प्रो. श्री विजय कुमार जैन	स्टील फेबरीकेशन	14	1650
8	शिव शक्ति आयरन इंस्ड.	प्रो. श्री अशोक छावड़ा	लुहारी वर्क साप	7	2400
9	विन्द्रावन आयिल मिल	प्रो. श्री कैलाश चंद्र गुप्ता	आयल निर्माण	9,10	3300
10	मनोज टेडिंग कपनी दमोह	प्रो. श्री मनोज कुमार जैन	आटा निर्माण	1,8	5404
11	महावीर दाल उद्योग	प्रो. श्री रूप चंद्र जैन	दाल निर्माण	11,12,13	4950

dpkjk 'kkfix lUVj nekg 'kki&de jlhMUl			
कमांक	आवंटी का नाम	दुकान कमांक	व्यवसाय
1	कु0 रश्मिी सिंधई	1	स्टील फर्नीचर एवं मोबाइल्स सेंटर
2	श्री मो. नकीब उल्लाह खान	2	फोटो स्टूडियो फोटो काफी
3	श्री के. के. खत्री	3	स्पेयर पार्ट
4	श्री दिनेश ठाकुर	4	रेडियो रिपेयरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स
5	श्रीमति मीना (मीनू) खत्री	5	स्टील फर्नीचर
6	श्री जोगिन्दर सिंह चावला	6	जुता चप्पल एवं फेंसी स्टोर
7	श्री के. एल. अग्रवाल	7	स्टील फर्नीचर
8	श्रीमति सरिता जैन	8	हार्डवेयर एवं मशीनरी

ftyk e miyC/k fjDr Hkfe dh fLFkfr fuEukulkj gS&

क.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम (दमोह से दूरी)	कुल भूमि रकवा	आवंटित भूमि	शेष आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि
1	औद्योगिक संस्थान मारूताल (दमोह से 4 कि.मी. दूर)	230 ऐकड़	निल	230 ऐकड़

ftyk O;kikj ,o m|kx dUnz Hkkiky
iLrkfor ift;u grq funs'k@pd fyLV

ftyk O;kikj ,o m|kx dUnz nekg y?kq m|kxk d iath;u fo"k;d idj.kk dh pd fyLV LFkk;h iath;u grq iklr gksu okys vkonuk d ijh{k.k grq pd fyLV

1. आवेदन पत्र के सभी आवश्यक बिन्दुओं में जानकारी पूर्ण रूप से व स्पष्ट अक्षरों में भरी गयी हो ।
2. यदि उत्पाद हानिकारक तथा प्रदूषण फैलाने वाले हैं तब संबंधित विभाग को तथा प्रदूषण निवारण मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन करना चाहिए एवं उसकी प्राप्ति रसीद ।

3. यदि इकाई भागीदारी फर्म है, तब पार्टनरशिप डीड की प्रति तथा पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी के प्रमाण–पत्र की प्रति चाहिए ।
4. यदि इकाई प्रायवेट लिमिटेड है, तब मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल तथा पंजीयक कम्पनी का प्रमाण–पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना चाहिए । एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेसूलेसन की प्रति ।
5. यदि इकाई खाद्य पदार्थ का निर्माण करने वाली है तब खाद्य विभाग के अनुज्ञा पत्र की प्रति चाहिए ।
6. यदि इकाई औषधि का निर्माण करने वाली है तब ड्रग लायसेंस की प्रति चाहिए ।
7. यदि किसी अन्य उद्योग में रूचि रखने वाली आवेदक ने आवेदन किया हो, तब उसके द्वारा अन्य उद्योग में किये गये पूंजी वेष्ठन की जानकारी चाहिए ।
8. इकाई भागीदारी प्रायवेट या प्रायवेट लिमिटेड कंपनी है तो अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हेतु जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी चाहिए ।
9. यदि इकाई वन/आबकारी, खनिज विभाग से संबंधित है तो संबंधित विभाग का अनुमति पत्र चाहिए ।
10. यदि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आता है तो संबंधित विभाग का प्रमाण–पत्र चाहिए ।
11. इकाई के औद्योगिक संस्थान/क्षेत्र में स्थित होने पर लीज डीड़ की प्रतिलिपि चाहिए ।
12. राज्य/केन्द्रीय वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि ।
13. भूमि/भवन किरायें की लीज डीड़ या स्वामित्व के संबंधी दस्तावेज कृषि योग्य भूमि होने की दशा में भूमि डायवर्सन प्रमाण–पत्र चाहिए ।
14. इकाई विद्युत चलित होने पर कनेक्शन क्रमांक, दिनांक एवं संबंद्ध भार पुष्टि हेतु म.प्र. विद्युत मंडल का प्रमाण–पत्र ।
15. उत्पाद दिनांक का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है ।
16. प्लॉट एवं मशीनरी की विवरण सूची एवं मूल्य ।
17. प्रथम कच्चा माल के क्रय बिलों की छायाप्रति ।
18. प्रथम उत्पादों के विक्रय जानकारी एवं बिल की छायाप्रति । (उत्पादन, खरीद, विक्रय की जानकारी)
19. वित्तीय स्त्रोत की जानकारी बैंक वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण का स्वीकत पत्र ।
20. भूमि भवन पर व्यय की प्रमाणीकृत अनुमोदित नक्शे की प्रति ।
21. कुल स्थायी पूंजीनिवेश के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण–पत्र (यदि स्थायी पूंजी निवेश रू. 5 लाख से अधिक हो)
22. आवेदन पत्र में संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ।
23. अन्य कोई विशेष विवरण जो इकाई विशेष हेतु आवश्यक हो ।
24. सभी दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

[kk| iladj.k m|kxk dk ikRlkgu dju gr ¼ie[k ;ktuk,½

□ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (आसान शर्तों पर ऋण की जगह) रू. 50 लाख तक या पूंजीगत लागत का 25: जो भी कम हो अनुदान देता है।

□ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी क्षेत्रों में स्थित यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए (फल, सब्जी, मांस, पोट्री, दूध, मछली, खाद्यान्न, दाल, तिलहन आदि)

□ फसल तुड़ाई की बुनियादी सुविधाओं और एकीकृत कोल्डचेन की स्थापना के लिए।

dkYM LVkjt dh LFkkiuk d fy, %

1 गैर वागवानी पैदावार के लिए (वागवानी पैदावार के लिए नेशनल हार्टीकल्चर वोर्ड द्वारा दी जाती है।
2 जहां वह खाद्य प्रसंस्करण यूनिट या फूड पार्क का एकीकृत हिस्सा हो।
3 नियंत्रित, रूपांतरित वातावरण सुविधा वाले विशेष किस्म के कोल्ड स्टोरेज।

□ उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए म.प्र. में चिन्हित राज्य नोडल एजेंसी ''प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पंचानन तीसरा तल मालवीय नगर–भोपाल'' के मार्फत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। परियोजना किसी वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित होनी चाहिए तकनीकी और वित्तीय तौर

पर व्यवहार्य होनी चाहिये, चालू पूंजी/आवश्यक ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, परियोजना की सफलता के लिए तकनीकी/प्रबंधकी/कार्यचालन/विपणन संबंधी कर्मियों, विपणन आदि का प्रबंध होना चाहिए।

 दाल मिलिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाः इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण के दौरान दालों को सुखाने/धूल पर नियंत्रण रखने के लिए ड्रामर और धूल नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजनांर्तगत् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रय गैर सरकारी संगठन/सहकारिताएं संयुक्त/सहायता प्राप्त/ निजीक्षेत्र को ड्रायर एवं धूल नियंत्रण प्रणाली की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा सभी क्षेत्रों में 5 लाख रूपए तक है, अनुदान हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को उपकरण सप्लायर से प्राप्त बिल की प्रतियों के साथ–साथ उपकरण लगा लिए जाये का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होता है।

 चलती–फिरती फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना : इस योजना का उद्देश्य चलती फिरती फल एवं प्रसंस्करण की ऐसी सुविधाओं की अवधारणा को बढ़ावा देना है, जो प्रसंस्करण सुविधा को किसान की दहलीज तक ले जाये। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य नोडल एजेंसियां/ गैर सरकारी संगठन/ सहकारितायें को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत (चालू पूंजी हेतु सीमांत धन और प्रचालन पूर्व खर्चों को छोड़कर) राशि प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 40 लाख रू. और दुर्जन क्षेत्रों में 60 लाख रू. है।अधिक जानकारी के लिए वैवसाइट देखें :– .mp.nic.in लिखित सुझाव श्री ए.एन.पी. सिन्हा संयुक्त सचिव (फैक्स–6457641) पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली– 110049 को भेजें।